[2022] 15 एस. सी. आर. 182

कॉक्स और किंग्स लिमिटेड

वी.

सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और

(2020 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 38)

06 मई, 2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और

सूर्या कान्ट, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एसएस। 2 (1) , 8 -'क्लोरो नियंत्रण मामले में कंपनी समूह का सिद्धांत -

भारतीय में इस सिद्धांत के दायरे और प्रयोज्यता की जांच

न्यायशास्त्र-इस संबंध में मुद्दा कि क्या मूल कंपनी, जो मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, को इसमें जोड़ा जाना चाहिए

समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए-एकल आर्थिक इकाई जैसी अवधारणाओं को सिद्धांतों के रूप में लागू करना मुश्किल है क्लोरो नियंत्रण मामले में इस न्यायालय द्वारा जिन क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया गया था, उन्होंने इस सिद्धांत की कुछ व्यापक-आधारित समझ पैदा की है जो उपयुक्त नहीं हो सकती है और स्पष्ट रूप से विशिष्ट के खिलाफ जाएगी।

कंपनियों की कानूनी पहचान और स्वयं पक्ष की स्वायत्तता-क्लोरो कंट्रोल में निर्धारित कानून और उसके बाद के मामले, कानून के बजाय अर्थशास्त्र और सुविधा पर अधिक आधारित प्रतीत होते हैं, जो सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है-इसे ध्यान में रखते हुए, मामले को कंपनी समूह के सिद्धांत की पेचीदगियों पर विस्तार देने और तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा गया है-बड़ी पीठ को संदर्भ।

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने

(एन. वी. रमना के अनुसार, सीजेआई (अपने और ए. एस. बोपन्ना के लिए)।

जे.)

पकड़नाः 1.1

क्लोरो कंट्रोल के मामले का अनुपात इंगित करता है

समझौता जब पक्षों ने स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर नहीं किए हैं समझौता। इन दोनों का मेल-मिलाप मुश्किल है और इसकी आवश्यकता है।

इस न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण। [पैरा 36] [208-डी-ई]

182 कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और

1.2 यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस सिद्धांत में, जैसा कि व्याख्या की गई है, गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को 'अपने अधिकार में पक्षकारों' के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। यह जॉइंडर गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर आधारित नहीं है जो 'के माध्यम से या उसके तहत' दावा करते हैं। इस तरह के जॉइंडर का प्रभाव मिटाने का होता है

वाणिज्यिक वास्तविकता, और सहायक कंपनियों को अलग रखने के लाभ। एकल आर्थिक इकाई जैसी अवधारणाएँ आर्थिक अवधारणाएँ हैं जिन्हें कानून के सिद्धांतों के रूप में लागू करना मुश्किल है। [पैरा 37] [208-ई-एफ]

1.3 क्लोरो नियंत्रण मामले में इस न्यायालय द्वारा जिन क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया गया था, उन्होंने कुछ व्यापक आधार वाली समझ पैदा की है

यह सिद्धांत जो उपयुक्त नहीं हो सकता है और स्पष्ट रूप से कंपनियों की विशिष्ट कानूनी पहचान और पार्टी की स्वायत्तता के खिलाफ जाएगा

1.4 एक मध्यस्थता समझौता पक्षों पर बाध्यकारी हो सकता है, चाहे वे हस्ताक्षरकर्ता हों या गैर-हस्ताक्षरकर्ता, बशर्ते कि उन्हें बांधने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार। गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य करने के लिए अधिकांश कानूनी आधार संविदात्मक मूल के होते हैं, जैसे एजेंसी, आदि। न्यायशास्त्र ने दिखाया है कि मध्यस्थता

संबद्ध कंपनियों की संख्या विस्तार का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी गैर-हस्ताक्षरकर्ता के लिए मध्यस्थता समझौता। [पैरा 46] [212-एफ जी]

1.6 मध्यस्थता अधिनियम की संशोधित धारा 8 में 'दावे के माध्यम से या उसके तहत' की व्याख्या के पहलू को कंपनियों के समूह के सिद्धांत के रूप में संदर्भित करना उचित है। इस पहलू पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए बड़ी पीठ। क्लोरो कंट्रोल में निर्धारित कानून और उसके बाद के मामले, कानून के बजाय अर्थशास्त्र और सुविधा पर अधिक आधारित प्रतीत होते हैं। यह एक सही तरीका नहीं हो सकता है। पीठ ने शुद्धता [2022] 15 एस. सी. पर संदेह व्यक्त किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्लोरो नियंत्रण में निर्धारित कानून और निम्नलिखित मामले

[पैरा 47] [212-एफ-जी]

1.7 यह न्यायालय इस मामले को संदर्भित करना उचित समझता है

समूह कंपनी सिद्धांत की पेचीदगियों पर विस्तार से चर्चा करने और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक बड़ी पीठ, जिसमें धारा 8 और 11 में 'दावे के माध्यम से या उसके तहत' वाक्यांश हो सकता है। 'कंपनियों के समूह' सिद्धांत को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई; क्या क्लोरो नियंत्रण मामले के रूप में 'कंपनियों के समूह' सिद्धांत और बाद के निर्णय ला [पैरा 50] [214-बी-सी] में मान्य हैं।

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट

(2013) 1 एस. सी. सी. 641: [2012] (13) एस. सी. आर. 402-शुद्धता पर संदेह।

गोविंद रबर लिमिटेड बनाम। लुई ड्रेफस कमोडिटीज एशिया

(पी) लिमिटेड (2015) 13 एस. सी. सी. 477: [2014] (12) एससीआर 488;

डाउ केमिकल फ्रांस, डाउ केमिकल कंपनी बनाम।

इसोवर सेंट गोबेन आईसीसी मामला संख्या 4131; सुकन्या

होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड वी. जायेश एच. पांड्या (2003) 5 एससीसी 531 : [2003] (3) एस. सी. आर. 558; रूसेल-उक्लाफ बनाम। जी. डी. सियरले

& कं. लिमिटेड और जी. डी. सियरले एंड कं. [1978] एफ. एस. आर.

95 ; महापौर और सामान्य प्रशासन और शहर के नागरिक

लंदन वी। अशोक संचेती [2008] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1283;

अमित लालचंद शाह बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज (2018) 15

एससीसी 678: [2018] (6) एससीआर 1001; चेरन प्रॉपर्टीज

लिमिटेड वी. कस्तूरी एंड संस लिमिटेड (2018) 16 एस. सी. सी. 413: [2018]

(4) एस. सी. आर. 1063; रेकिट बेंकिजर (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम।

रेंडर्स लेबल प्रिंटिंग (इंडिया) (पी) लिमिटेड (2019) 7 एससीसी

62 : [2019] (8) एस. सी. आर. 966; महानगर टेलीफोन निगम

लिमिटेड वी. केनरा बैंक (2020) 12 एस. सी. सी. 767 [2019] (11)

एससीआर 660; पीटरसन फ़ार्म्स इंक. बनाम। सी एंड एम फार्मिंग लिमिटेड

[2004] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 121 (कॉम); कमाना अनुसंधान

लैबोरेटरीज इंक. वी. ओ 'ब्रायन (1990) 169 सी. एल. आर. 332; विद्या ड्रोलिया वी. दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2 एससीसी 1;

शाह फैसल बनाम। भारत संघ (2020) 4 एससीसी 1: [2020]

(3) एससीआर 1115

मामला कानून संदर्भ

[2012] (13) एससीआर 402

शुद्धता पर संदेह हुआ।

पैरा 47 कॉक्स और किंग्स लिमिटेड v. सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और

[2014] (12) एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2003] (3) एससीआर 558

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2018] (6) एससीआर 1001

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[2018] (4) एससीआर 1063

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

[2019] (8) एससीआर 966

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[2019] (11) एससीआर 660

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

(2021) 2 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

[2020] (3) एससीआर 1115

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

पिएत्रो फेरारियो, 'द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन इन

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताः क्या कोई है?

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, (© क्लूवर लॉ इंटरनेशनल; क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2009, खंड 26 अंक 5) पीपी।

647 673 ; गैरी B.Born 's, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक

मध्यस्थता, तीसरा संस्करण, खंड I, पृष्ठ 1558-1559 -

संदर्भित किया गया।

पर सूर्या कान्ट, जे। (सहमत):

HELD 1.1 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत अब है

भारतीय कानून के अनुसार उचित दूरी तय की। जबकि माननीय मुख्य न्यायाधीश की राय सही है कि शब्द

" अधिनियम की धारा 8 में किए गए परिवर्तनों के बावजूद धारा 2 (1) (एच) के तहत पक्षों को संशोधित नहीं किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि संशोधित धारा 8 को लागू करने का एक उद्देश्य भारत में कंपनी समूह के सिद्धांत को मौन मान्यता और स्वीकृति देना था। [पैरा 32] [226-एच]

1.2 यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सवाल यह है कि कौन सी संस्थाएं

मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों को आमतौर पर न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया जाता है, खासकर जब एक सीमित वैधानिक मार्गदर्शन होता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 8 के शब्दों से कंपनी समूह के सिद्धांत के संदिग्ध स्रोत के बारे में धारणा का मतलब यह नहीं है कि यह भारतीय मध्यस्थता कानून से वर्जित है। निस्संदेह, न्यायालयों के पास भारतीय मध्यस्थ न्यायशास्त्र में सिद्धांत को लागू करने और लागू करने का न्यायिक विवेकाधिकार है। [पैरा 33] [227-बी-सी] [2022] 15 एस. सी. आर.

1.3 कंपनी समूह के सिद्धांत की व्याख्या पर पहले का विश्लेषण इस बात को मजबूत करता है कि जब इसे सबसे अधिक रूप में तैयार किया जाता है

आधुनिक अर्थ में, यह कंपनी कानून में अलग कानूनी इकाई सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धांत की वर्तमान व्याख्या कंपनियों के एक समूह के भीतर विभिन्न संस्थाओं के अलग-अलग निगमित रूप को 'परेशान या प्रभावित' नहीं करती है। न ही

क्या कॉर्पोरेट घूंघट को छेदने का कार्य आवश्यक रूप से तीसरे पक्ष की अलग कानूनी इकाई को ध्वस्त कर देता है। इस संदर्भ में, निगमित कानून के सिद्धांत जैसे पर्दा छेदना और अहंकार को बदलना एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधि की पहचान की जा सकती है जो तब इसे बाध्य करने के लिए कंपनी सिद्धांत समूह के आवेदन के लिए कानूनी औचित्य प्रदान करेगा। मध्यस्थता के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता। यह "एकल आर्थिक वास्तविकता" दृष्टिकोण से एक प्रस्थान है जो कंपनियों के पूरे समूह को एक एकल इकाई के रूप में देखता है और समूह के विभिन्न सदस्यों के अलग-अलग कानूनी व्यक्तित्वों को ओवरराइड करता है। [पैरा 34 और 35] [227-सी-डी, एफ-एच; 228-ए-बी]

1.5 इस दृष्टिकोण में, मूल कंपनी का अलग कानूनी रूप अबाधित रहता है और घूंघट भेदन का अनुप्रयोग होता है।

या अहंकार को बदलना केवल किसी तीसरे पक्ष द्वारा दोहरे कृत्यों की पहचान के लिए है जो तब उन्हें मध्यस्थता के लिए बाध्य करने के लिए कंपनी सिद्धांत के समूह के अनुप्रयोग की ओर ले जाएगा। इसका कार्य उन पक्षों की पहचान करना है जिनका मध्यस्थता का हिस्सा बनने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है और जानबूझकर मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन होने से बचने के लिए एक ढाल के रूप में कॉर्पोरेट फॉर्म का उपयोग करते हैं। ऐसे परिदृश्यों के लिए, विवाद को दूर करने के लिए कंपनी सिद्धांत के समूह के लिए एक औपचारिक आशय-आधारित दृष्टिकोण अपर्याप्त हो सकता है। [पैरा 36] [228 बी-सी]

1.5 ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनियों के एक समूह के "एकल आर्थिक इकाई" के रूप में अभिसरण के आधार पर मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष में शामिल होना अब कंपनियों के समूह के तहत मानक नहीं है।

सिद्धांत। इसके बजाय, मानक मुख्य रूप से निहित पर आधारित है। कंपनियों के समूह के भीतर एक इकाई के कार्यों और आचरण से ली गई सहमति। जहां एक निकट से जुड़ा हुआ समूह मौजूद है, मध्यस्थता के लिए बाध्य होने के तीसरे पक्ष के इरादे की व्याख्या का अर्थ उस समूह के लिए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों और उसके कार्य करने के तरीके से लगाया जाएगा। यह गैर-हस्ताक्षरकर्ता के अलग कानूनी व्यक्तित्व को बनाए रखता है और इसे कॉक्स और किंग्स लिमिटेड v से जोड़ता है।

सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और

बाध्य होने की अपनी निहित स्वीकृति के आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही। [पैरा 37] [228-सी-ई]

1.6 इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सिद्धांत मध्यस्थता के सामान्य नियम का एक अपवाद है। हालांकि, जहां एक के तथ्य

मामला इंगित करता है कि पक्षों का इरादा गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करना था, न्यायालय, उचित सावधानी और सावधानी बरतने के बाद, सिद्धांत को पर्याप्त करने के लिए लागू करने में उचित होगा और

पूर्ण न्याय। अधिनियम में 2016 के संशोधन के बाद, यह न्यायालय

असाधारण मामलों में सिद्धांत को स्वीकार करना और लागू करना जारी रखा है। जब इन सभी कारकों को देखा जाता है

इसी के अनुरूप, यह सामने आता है कि इस सिद्धांत को भारतीय न्यायशास्त्र में दृढ़ आधार मिला है। [पैरा 38] [228-एफ-जी]

पक्षकार, भले ही ये अतिरिक्त पक्ष अंततः और औपचारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें। उस हद तक, सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता इस वास्तविकता के अनुकूल होने में सक्षम है। ऐसा करने में विफलता मध्यस्थता को एक पक्षकार के रूप में अप्रभावी विवाद समाधान मंच जो विवाद के पूर्ण और उचित समाधान के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें निर्णय से बाहर रखा जाएगा। [पैरा 39] [228-जी-एच; 229-ए-बी]

1.8 सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि

कार्यवाही से बचा जाता है। एक पक्ष बातचीत और यहां तक कि एक समझौते के प्रदर्शन में शामिल हो सकता है, लेकिन फिर भी इस आधार पर मध्यस्थता प्रक्रिया को दरकिनार करने में सक्षम हो सकता है कि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। फिर ऐसे पक्षकार के खिलाफ अदालत में कार्यवाही करनी होगी। [पैरा 40] [229-बी-सी]

1.9 भारतीय न्यायशास्त्र में कंपनी समूह सिद्धांत होने के अतिरिक्त लाभ हैं। ये उत्पन्न होते हैं

विशिष्ट परिस्थितियां और तरीका जिसमें भारतीय व्यावसायिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ लेन-देन करती हैं और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करती हैं। भारतीय व्यापारिक घरानों का एक बड़ा हिस्सा परिवार द्वारा संचालित संस्थाओं या समूहों से बना है। इन संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्ति अक्सर समूह के भीतर विभिन्न कंपनियों में कई भूमिकाओं पर कब्जा करते हैं। इस प्रकार, प्रमुख प्रबंधकीय [2022] 15 एस. सी. आर. के संदर्भ में समानता।

कर्मचारी और इन पदों पर आसीन परिवार के सदस्यों की प्रमुखता इन कंपनियों के व्यवसाय करने के तरीके को ढालती है। वाणिज्यिक लेन-देन में प्रवेश करने में उन व्यक्तियों के साथ परिचित होने के आधार पर अनौपचारिक समझ शामिल होती है जो कंपनियों के समग्र समूह को चलाते हैं, भले ही वह विशिष्ट इकाई न हो जिसके साथ एक अनुबंध औपचारिक रूप से निष्पादित किया जाता है। [पैरा 41] [229-सी-ई]

1.10 इस परिदृश्य में भारतीय कंपनियों के समूह जैसे सिद्धांत का होना और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। मध्यस्थता कानून। कंपनियों के समूह के बाहर कोई तीसरा पक्ष हो सकता है

जिन माध्यमों से ऐसी कंपनियाँ पैर जमा सकती हैं, वे हैं कंपनियों के एक बड़े (अक्सर परिवार द्वारा आयोजित) समूह का हिस्सा बनना। ये नई संस्थाएं तब सद्भावना को पूरा करने में सक्षम होती हैं या संबंध जो बड़े समूह के बाकी व्यावसायिक दुनिया के साथ हैं। यह देखते हुए कि बड़े समूह के साथ संबंध व्यवसाय के संचालन के तरीके के लिए आंतरिक है, मध्यस्थता कानून को आवश्यक है

इस वास्तविकता को स्वीकार करें और संबोधित करें। [पैरा 43] [229-जी-एच; 230 ए]

1.12 इस सिद्धांत के तहत महत्वपूर्ण विचार, कंपनी के कानून के सिद्धांतों जैसे कि अहंकार को बदलना, वास्तविक नहीं है।

गैर-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में पक्ष का इरादा अनुबंध के चालक के रूप में खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोहरा व्यवहार करना हो सकता है, जबकि इससे बचना हो सकता है। अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने से उत्पन्न होने वाली कोई भी देनदारियाँ। इसलिए, सिद्धांत जो जांच करता है वह यह है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने उसी स्थिति में एक उचित पक्ष को क्या इरादा व्यक्त किया है

संविदाकारी संस्था। निर्णायक कारक इस हद तक है कि

अनुबंधित पक्ष ने दूसरे पक्ष में "विश्वास" रखा है, उचित रूप से, और गैर-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों के आधार पर। भारतीय कानून में विश्वास के स्वीडिश सिद्धांत को थोक में अपनाना कॉक्स और किंग्स लिमिटेड नहीं है।

सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और

वकालत की। बल्कि, यह धारणा कि हम समूह को कैसे लागू कर सकते हैं

उन स्थितियों में कंपनी सिद्धांत जहां गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष धोखाधड़ी या धोखेबाज तरीके से काम कर रहे हैं, उस धारणा की जांच करके संबोधित किया जा सकता है जो अनुबंध करने वाले पक्षों को तीसरे पक्ष द्वारा बताया गया था। यह घूंघट को भेदने और अहंकार को बदलने के पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अलावा है। यह क्लोरो कंट्रोल्स की वैध आलोचना को भी संबोधित कर सकता है और

चेरन प्रॉपर्टीज, कि इरादे के कानूनी मानकों पर जोर देने के बावजूद, अदालत ने अंततः सिद्धांतों का सहारा लिया

उन मामलों में कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए इक्विटी और वाणिज्यिक/आर्थिक समीचीनता। [पैरा 46,47] [230-ई-एच; 239-ए]

1.13 इसे ध्यान में रखते हुए, जिन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की मांग की गई है, वे आगे विस्तार के योग्य हैं। द.

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के अतिरिक्त और उनके संयोजन में एक बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं:

क. क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को अधिनियम की धारा 8 में पढ़ा जाना चाहिए या क्या यह किसी भी वैधानिक प्रावधान से स्वतंत्र भारतीय न्यायशास्त्र में मौजूद हो सकता है?

ग. क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के निहित सहमति या इरादे की व्याख्या करने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए? डी. क्या अहंकार को बदलने और/या कॉर्पोरेट पर्दा को भेदने के सिद्धांत अकेले ही कंपनियों के समूह को दबाने को उचित ठहरा सकते हैं।

निहित सहमति के अभाव में भी संचालन में सिद्धांत? [पैरा 48] [232-बी-ई]

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन इंक. और एन. आर. 2013 1 एस. सी. सी. 641 [2012] (13) एस. सी. आर. 402; क्लोरो कंट्रोल्स एंड चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड v. कस्तूरी एंड संस लिमिटेड एंड ओआरएस 2018 16 एससीसी 413: [2018] (4) एस. सी. आर. 1063; डाउ केमिकल्स बनाम। इसोवर सेंट गोबेन रेव अर्ब 137 1984; 110 जे. डी. आई. 899 (1983); [2022] 15 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लैकोवोग्लू प्रोडोमोस एंड कं. वी. एस. ए. एस. एम्पलीट्यूड कोर डी कैस, 1st Civ Ch, 27 मार्च 2007, संख्या 04-20842, जे. सी. पी. ई. 2007,2018; सोसाइटी अल्काटेल बिजनेस सिस्टम्स बनाम। सोसाइटी अकमोर टेक्नोलॉजी कोर्ट डी कास, 1st Civ Ch, 7 नवंबर 2012, नंबर 11-25.891, JCP 2012, I, 1354 नंबर 5; पीटरसन फ़ार्म्स इंक बनाम सी एंड एम फ़ार्मिंग लिमिटेड [2004] ईडब्ल्यूएचसी 121;

ट्रांसपोर्ट म्यूचुअल इंश्योरेंस एसोसिएशन के माध्यम से

(यूएशिया) लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2005] ईडब्ल्यूएचसी 455 मूर-बिक जे; स्टारलाइट शिपिंग कंपनी और एनोर बनाम ताई पिंग इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हुबेई शाखा और एनोर [2007] ईडब्ल्यूएचसी 1893; चार्ल्स एम विली एंड कंपनी (शिपिंग) लिमिटेड बनाम ओशन लेजर शिपिंग लिमिटेड (द स्मारो) [1998] ईडब्ल्यूएचसी 1206; हिक्स बनाम। बैंक ऑफ एम, एन. ए., 218 एफ. ऐप 'x 739,746 (2007); ब्राइडस सेपिक बनाम। तुर्कमेनिस्तान, 447 एफ 3 डी 411,416-20 (2006); एस्ट्रा ऑयल कंपनी बनाम रोवर नेविगेशन, लिमिटेड, 344 एफ 3 डी 276,277 (2003); चोक्टाव जेनरेशन एलपी बनाम। एम होम असुर कंपनी, 271 एफ 3 डी 403,406-07 (2001); सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम। जायेश एच. पांड्या और ए. एन. आर. 2003 5 एस. सी. सी 531: [2003] (3) एस. सी. आर. 558; इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम वेसकेयर (आई) लिमिटेड और ए. एन. आर. 2010 5 एस. सी. सी. 305: [2010] (5) एससीआर 284; एस. एन. प्रसाद बनाम मोनेट फाइनेंस एंड ओआरएस 2011 1 एससीसी 320: [2010] (13) एस. सी. आर. 207; रेकिट बेंकिजर (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम। रेंडर्स लेबल प्रिंटिंग (इंडिया) (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. 2019 7 एस. सी. सी. 62: [2019] (8) एससीआर 966; महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाम। केनरा बैंक एंड ओआरएस 2020 12 एससी 767: [2019] (11) एस. सी. आर. 660; तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड v. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और एन. आर. सिविल

2022 की अपील संख्या 2042; पेट्रो एलायंस सर्विसेज

कंपनी लिमिटेड v. यूकोस ऑयल एस. सी. सी. मामला संख्या 108/1997,

2000 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] (13) एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

[2018] (4) एससीआर 1063

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

[2003] (3) एससीआर 558

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2010] (5) एससीआर 284

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

[2010] (13) एससीआर 207

संदर्भित किया गया है

पैरा 21 कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

& एक और

[2019] (8) एससीआर 966

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[2019] (11) एससीआर 660

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

अनुबंध (ओं) या मध्यस्थता खंड (ओं) में निहित उसमें? न्यायालयों द्वारा लागू सिद्धांत और

बर्नार्ड हनोटियाउ (संस्करण) में मध्यस्थता न्यायाधिकरण,

जटिल मध्यस्थताः बहु-पक्षीय, बहु-अनुबंध, बहु-अनुबंध

एक तुलनात्मक अध्ययन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल) 2020) ; 29 जनवरी 1996 का निर्णय, 14 एएसए बुल

496 (स्विस फेड जनजाति) (1996); जीन फ्रेंकोइस पौड्रेट,

' मध्यस्थता खंड का विस्तारः फ्रांसीसी और स्विस एप्रोच '122 जे. डी. आई. (क्लूनेट) 893 (1995);

गैब्रिएल कौफमैन-कोहलर और ए रिगोज़ी, अंतर्राष्ट्रीय

मध्यस्थताः स्विट्जरलैंड में कानून और व्यवहार (ओयूपी)

2015) ; गैरी बोर्न, 'अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के पक्षकार समझौते, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता '

गैरी बोर्न (ई. डी. एस) इंटरनेशनल कमर्शियल

मध्यस्थता (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2021)

संदर्भित किया गया।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः मध्यस्थता याचिका (सिविल)

2020 का No.38।

मध्यस्थता की धारा 11 (6), धारा 11 (12) (ए) के तहत याचिका

और मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए सुलह अधिनियम, 1996।

कैलाश वासदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हीरू आडवाणी, दिव्यकांत लाहोटी, सुश्री.

मधुजा मुले, सुश्री मधुर झावर, सुश्री विंध्य मेहरा, नयनतारा गुप्ता, नवदीप दहिया, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

रितिन राय, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , धीरज नायर, कुमार

किस्ले, प्रतीक पवार, सिद्धेश प्रधान, सुश्री शनाया ईरानी, सुश्री रितिका सिन्हा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय * द्वारा दिए गए थे

एन. वी. रमना, सीजेआई

1. यह याचिका हमसे 'कंपनियों के समूह' की जांच करने का आह्वान करती है

सिद्धांत '। विशेष रूप से, यह हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मध्यस्थता कानून के तहत पार्टी की स्वायत्तता के सिद्धांत और इसमें कॉर्पोरेट व्यक्तित्व

* एड नोटः इस मामले में दो निर्णय थे-एक निर्णय भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एन. वी. रमन्ना ने अपने लिए और माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. एस. बोपन्ना की ओर से दिया; और दूसरा निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने दिया।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय न्यायशास्त्र में वर्तमान में पालन किए जा रहे सिद्धांत के दायरे और प्रयोज्यता को रेखांकित करने में कंपनी कानून को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है।

2. वर्तमान मध्यस्थता याचिका को प्राथमिकता दी गई है

याचिकाकर्ता-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 11 (6) और धारा 11 (12) (ए) के तहत आवेदक, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए, इस आधार पर कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के संबंध में विफलता हुई है।

पक्षों के बीच समझौते।

3. विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं: 14.12.2010 पर, आवेदक और उत्तरदाता संख्या 1 ने एक SAP सॉफ्टवेयर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट और SAP एंटरप्राइज में प्रवेश किया

समर्थन अनुसूची जिसके तहत आवेदक को उत्तरदाताओं द्वारा विकसित और स्वामित्व वाले कुछ ईआरपी सॉफ्टवेयर का लाइसेंसधारी बनाया गया था। यह एक समग्र लाइसेंस समझौता है जिसमें उत्तरदाताओं के सभी ग्राहकों को उत्तरदाताओं के किसी भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए अनिवार्य रूप से पहले से प्रवेश करना पड़ता है। 2015 में, जब आवेदक अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा था, तो उत्तरदाताओं ने आवेदक से संपर्क किया और अपने हाइब्रिस समाधान की सिफारिश की क्योंकि यह आवेदक के सॉफ्टवेयर के साथ 90 प्रतिशत संगत होगा। उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि शेष 10 प्रतिशत अनुकूलन में केवल 10 महीने लगेंगे, जो स्वयं सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले आवेदक की तुलना में बहुत कम समाधान है।

4. उपरोक्त समझौते को 3 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया था।

लेन-देन: सबसे पहले, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और समर्थन समझौता-सॉफ्टवेयर ऑर्डर फॉर्म 3, दिनांक 30.10.2015, पर आवेदक और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच SAP हाइब्रिस सॉफ्टवेयर लाइसेंस की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा, एसएपी हाइब्रिस सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों वाले पक्षों के बीच 30.10.2015 दिनांकित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को सेवा सामान्य नियम और शर्तें समझौता (जीटीसी) कहा जाता है। तीसरा, 16.11.2015 पर, अनुकूलन के लिए एक समझौता किया गया था सॉफ्टवेयर।

5. जी. टी. सी. के खंड 15.7 में मध्यस्थता खंड है जिससे हम वर्तमान मामले में संबंधित हैं। खंड इस प्रकार है:

" 15.7 विवाद समाधान: किसी विवाद की स्थिति में या

इस समझौते की विषय वस्तु से उत्पन्न होने वाला अंतर, COX और किंग्स लिमिटेड v.

पक्षकार ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का कार्य करेंगे।

यदि विवादों और मतभेदों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा नहीं किया जा सकता है तो ऐसे विवादों को तीन मध्यस्थों की पीठ को भेजा जाएगा, जहां प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ को नामित करेगा और दो मध्यस्थ एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे। मध्यस्थता पुरस्कार दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता मुंबई में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक पक्ष अपना खर्च वहन करेगा।

मध्यस्थ नियुक्त किया गया। तीसरे मध्यस्थ का खर्च पक्षों द्वारा साझा किया जाएगा। मध्यस्थता प्रक्रिया होगी

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित। "

6. अगस्त 2016 तक, आवेदक ने परियोजना कार्यान्वयन में विभिन्न मुद्दों को प्रतिवादी संख्या 1 को सूचीबद्ध किया और प्रतिवादी संख्या 1 से अनुरोध किया। 2 को

हस्तक्षेप करें। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बदले में आवेदक को कुछ आश्वासन दिए। चूंकि अनुबंध को विस्तारित समय सीमा और अतिरिक्त श्रमशक्ति के साथ भी पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए एसएपी हाइब्रिस सॉल्यूशन से संबंधित संविदात्मक ढांचे को 15.11.2016 पर रद्द कर दिया गया, जिसके बाद उत्तरदाताओं ने तुरंत उक्त परियोजना से अपने संसाधनों को वापस ले लिया। उसी के अनुसार, आवेदक ने रुपये वापस करने की मांग की। 45 लाइसेंस समझौते, वार्षिक रखरखाव के लिए भुगतान किए गए करोड़

प्रभार और कार्यान्वयन सेवाएँ। उक्त मांग के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एक समाधान का प्रस्ताव रखा जिसे आवेदक ने अस्वीकार कर दिया।

7. अंत में, कई पत्राचार और बैठकों के बाद, मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं सुलझाया जा सका। 29.10.2017 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 जारी किया गया अनुबंध की कथित गलत समाप्ति के लिए मध्यस्थता का आह्वान करने वाला एक नोटिस और रुपये के भुगतान की मांग की। 17 करोड़। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर (सेवानिवृत्त), माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप भोसले (सेवानिवृत्त) और माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. सी. डागा (सेवानिवृत्त) शामिल थे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 30.10.2015 पर पक्षों के बीच दर्ज किए गए GTC के खंड 15.7 के तहत कार्यवाही शुरू की। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था। इन कार्यवाहियों के दौरान, आवेदक ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के तहत, माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि पक्षों के बीच किए गए चार समझौते एक समग्र लेनदेन का हिस्सा हैं और यह एक एकल कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिए। 9. जबकि, 22.10.2019 पर, NCLT ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत एक आवेदन स्वीकार किया, जिसे [2022] 15 एस. सी. आर. पसंद किया गया।

आवेदक के खिलाफ और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया।

आई. डी. 1 पर, एन. सी. एल. टी. ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत के कारण आवेदक के खिलाफ दावों पर लगाए गए स्थगन को देखते हुए पक्षों को मध्यस्थता कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया।

10. 07.11.2019 पर, आवेदक ने मध्यस्थता कार्यवाही में प्रत्यर्थी संख्या 2 को शामिल करते हुए मध्यस्थता का आह्वान करते हुए एक नया नोटिस भेजा।

उक्त सूचना में, आवेदक ने माननीय डॉ. न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत को अपना नामित मध्यस्थ नियुक्त किया और प्रत्यर्थियों से न्यायाधिकरण के गठन के लिए अपना मध्यस्थ नियुक्त करने का आह्वान किया। हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए, आवेदक ने एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत इस आवेदन को प्राथमिकता दी है।

11. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासदेव ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

प्रत्यर्थी संख्या 1 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और

आई.

प्रत्यर्थी संख्या 2 की स्वामित्व संबंधी चिंता। चूँकि सॉफ्टवेयर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 की सहायता के बिना अनुकूलन संभव नहीं होगा। इसलिए, सभी चार समझौते एक साथ एक समग्र समझौते का निर्माण करते हैं और दोनों प्रत्यर्थी संख्या द्वारा एक एकल, परस्पर जुड़े लेनदेन का एक हिस्सा हैं। 1

और 2.

ii.

समझौतों और ईमेल पत्राचार स्पष्ट रूप से दिखाते हैं।

वह उत्तरदाता सं। 1 और 2 और आवेदक कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए विज्ञापन में थे

समझौते। विशेष रूप से, जब प्रतिवादी संख्या 1 समझौते को निष्पादित करने में विफल रहा, तो प्रतिवादी संख्या 2 ने

आवेदक की शिकायतों को हल करने की जिम्मेदारी।

तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार करते हुए

iii.

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक., (2013) 1 एस. सी. सी. 641, मध्यस्थता गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ भी लागू की जा सकती है, यदि

परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि यह आपसी इरादा था

दलों से।

वर्तमान के बीच दावों की कोई समानता नहीं है

iv.

मध्यस्थता कार्यवाही और पूर्ववर्ती कार्यवाही।

ओ किंग्स लिमिटेड वी। एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

धारा 11 के तहत सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता अधिनियम, न्यायालय का हस्तक्षेप उतना ही न्यूनतम होना चाहिए जितना कि न्यायालय को केवल जांच करने की आवश्यकता है

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व।

[आर. लेंट नंबर 1 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रितिन राय ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

आवेदक ने मध्यस्थ के गठन का विरोध करने के अपने पिछले प्रयासों के बारे में भौतिक तथ्यों को दबा दिया है।

न्यायाधिकरण। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले जी. टी. सी. के खंड 15.7 का आह्वान किया था, तो यह आवेदक ही था जिसने इसे शुरू से ही अमान्य होने के लिए चुनौती दी थी। अब, आवेदक स्वयं एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उसी प्रावधान का आह्वान कर रहा है।

सी. आई. आर. पी. के शुरू होने और इसके परिणामस्वरूप स्थगन लागू होने के तुरंत एक दिन बाद, आवेदक ने एक नए नोटिस के माध्यम से इसी तरह के दावे करने का विकल्प चुना है और अपने दावे को बढ़ाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को एक पक्ष के रूप में परोक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धांत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है।

साथ ही।

इर. नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तरदाता संख्या 2 ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

प्रत्यर्थी संख्या 2 न तो हस्ताक्षरकर्ता है, और न ही यह कभी भी आवेदक और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच समझौतों से बाध्य होने के लिए (स्पष्ट रूप से या निहित रूप से) सहमत हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 2, एक विदेशी संस्था होने के नाते भारत में कोई व्यावसायिक लेनदेन नहीं है और एक अलग और प्रत्यर्थी संख्या 1 से स्वतंत्र कानूनी इकाई।

आवेदक द्वारा जिन ईमेलों पर भरोसा किया गया है, वे उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा किसी भी वचन का संकेत नहीं देते हैं। विशेष रूप से, जब आवेदक ने स्वयं लाइसेंस के निष्पादन के बहुत बाद सहायता के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क किया समझौता और सेवा समझौता। मान लीजिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 अनुबंध वार्ता प्रक्रिया में शामिल नहीं था।

"कंपनी समूह" सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 2 केवल गैर [2022] 15 एस. सी. आर. नहीं है।

हस्ताक्षरकर्ता लेकिन अनुबंध के मसौदे के दौरान बातचीत की प्रक्रिया में कभी भाग नहीं लिया। इसके अलावा वहां

अनुबंध द्वारा बाध्य होने के लिए पक्षों की कोई सहमति नहीं है।

14. दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद और

(ऊपर) मामले में, इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया है। इस संदर्भ में हमने महसूस किया कि क्लोरो नियंत्रण (उपर्युक्त) में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए सैद्धांतिक दृष्टिकोण के पीछे की तर्कसंगतता की जांच करने की और आवश्यकता है। मामला।

15. मध्यस्थता अनुबंध का एक रूप है जिसे पक्ष की स्वायत्तता, त्वरित निपटान और एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय की शुरुआत करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के तहत वैधानिक समर्थन प्रदान किया गया है। मध्यस्थता भारतीय न्यायशास्त्र के लिए एक बड़ा वरदान रहा है, जिसमें कई मामलों को अदालतों के समक्ष मुकदमेबाजी के घुमावदार पाठ्यक्रम को लिए बिना प्रभावी तरीके से निपटाया गया है। 16. मध्यस्थता अभ्यास के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों, बहु-पक्षीय और बहु-दावा कार्यवाही से संबंधित है। आमतौर पर, मध्यस्थता में वे पक्ष शामिल होते हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थता समझौता किया है, या उत्तराधिकारी हितों वाले पक्ष, जो उनके तहत दावा करते हैं। कुछ मामलों में, ऐसा होता है कि तीसरे पक्ष मौन सहमति आदि द्वारा मध्यस्थता खंड से बाध्य होते हैं।

17. कंपनियों के समूह का सिद्धांत एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उपयोग मध्यस्थता समझौते के लिए तीसरे पक्ष को बांधने के लिए किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से,

दक्षता के नीतिगत विचार को इस तरह के जॉइंडर की अनुमति देने के लिए तर्क दिया जाता है। हालाँकि, जब तक इसके लिए एक कानूनी आधार प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक दक्षता स्वयं किसी पक्ष को मध्यस्थता के लिए बाध्य करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।

18. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 मध्यस्थता को परिभाषित करती है।

समझौता। अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, मध्यस्थता का क्षेत्र सहमति का है। उपरोक्त प्रावधान को नंगे पढ़ने से संकेत मिलता है कि पक्षों को अपने मौजूदा या भविष्य के विवादों को मध्यस्थता के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने के अपने इरादे को कम करना चाहिए। कानून मध्यस्थता समझौते के लिए किसी विशेष रूप को अनिवार्य नहीं करता है। पार्टियों का इरादा हो सकता है

पत्रों, टेलेक्स, तार और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के आदान-प्रदान से अनुमान लगाया जाता है। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पक्षकार या तो कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v के माध्यम से सहमत थे।

एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

अनुबंध, आचरण या पत्राचार। (गोविंद रबर देखें।

लिमिटेड वी. लुई ड्रेफस कमोडिटीज एशिया (पी) लिमिटेड, (2015) 13 एससीसी 477)। इसलिए, गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए मध्यस्थता समझौते के विस्तार के प्रश्न में अनिवार्य रूप से ऐसी कंपनियों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के विस्तार और प्रभावों का प्रश्न भी शामिल है। 1. 19. यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से डॉव केमिकल फ्रांस, डॉव केमिकल कंपनी बनाम में उत्पन्न हुआ कहा जा सकता है। इसोवर संत

20. घरेलू मध्यस्थता के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत से निपटने वाला पहला मामला सुकन्या होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड था। लिमिटेड वी. जायेश एच. पांड्या, (2003) 5 एससीसी 531। उस मामले में, एक ही लेन-देन को लेकर कई पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे। विवाद के कुछ पक्ष मध्यस्थता समझौते का हिस्सा नहीं थे। अपीलार्थी इनमें से कुछ पक्षों के खिलाफ राहत का दावा कर रहा था जो समझौते के पक्षकार नहीं थे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्रवाई के कारणों को मध्यस्थता में विभाजित नहीं किया जा सकता है और मध्यस्थता समझौते के गैर-पक्षकारों को उसी मध्यस्थता में शामिल नहीं किया जा सकता है।

21. अगला महत्वपूर्ण मामला जो समूह से संबंधित था

जब यह मध्यस्थता न्यायशास्त्र में सिद्धांत की बात आई। इसमें यह 1 1 पिएत्रो फेरारियो, 'द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशनः क्या इस सिद्धांत के अस्तित्व का कोई कारण है? ' , जर्नल ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, (® क्लूवर लॉ इंटरनेशनल; क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2009, खंड 26 अंक 5) पीपी।

कि न्यायालय को एक सर्वोत्तम उपयुक्तता प्रदान करने के लिए एक राय तैयार करनी थी

ई मध्यस्थता के भाग II के तहत भारतीय अधिकार क्षेत्र के लिए सिद्धांत

चूंकि कई विदेशी पक्ष शामिल थे, इसलिए न्यायालय को आह्वान करना पड़ा

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 पर। अनुभाग

मध्यस्थता अधिनियम निम्नानुसार थाः

" 45. पक्षकारों को संदर्भित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति

मध्यस्थता। भाग I या में कुछ भी निहित होने के बावजूद

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), एक न्यायिक प्राधिकरण, जब किसी ऐसे मामले में कार्रवाई करता है, जिसके संबंध में पक्षों ने धारा 44 में निर्दिष्ट एक समझौता किया है, तो किसी एक पक्ष या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, जब तक कि यह नहीं पाता है कि उक्त समझौता अमान्य, निष्क्रिय या अक्षम है।

प्रदर्शन किया "।

22. न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 की तुलना अनुच्छेद से की

UNCITRAL मॉडल कानून और निम्नलिखित अवयवों को तैयार किया गया

रेफरल स्तर पर जाँच करने के लिए न्यायिक प्राधिकरणः

" 1. क्या मध्यस्थता समझौता इसके दायरे में आता है

सम्मेलन?

क्या मध्यस्थता समझौते का लिखित प्रमाण है?

2 .

क्या मध्यस्थता समझौता मौजूद है और क्या यह मूल रूप से है?

3 .

वैध?

क्या कोई विवाद है, क्या यह एक परिभाषित कानूनी स्थिति से उत्पन्न होता है?

4 .

संबंध, चाहे संविदात्मक हो या नहीं, और क्या पक्षों का इरादा इस विशेष विवाद को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का था?
क्या मध्यस्थता समझौता पक्षों के लिए बाध्यकारी है

5 .

विवाद जो अदालत के समक्ष है?

6 .

क्या यह विवाद मध्यस्थता योग्य है?

23. न्यायालय ने धारा 45 के तहत भाषा में अंतर देखा

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 निम्नलिखित तरीके से:

" 69. हम पहले ही देख चुके हैं कि धारा 45 की भाषा इस संबंध में धारा 8 की भाषा से काफी भिन्न है। धारा 45 में, "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से संदर्भित करती है।

शब्दों के दायरे को बढ़ाने के विधायी इरादे के लिए

"पक्षकारों" से परे जो मध्यस्थता X और किंग्स लिमिटेड v के लिए हस्ताक्षरकर्ता हैं।

एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

समझौता। बेशक, ऐसे आवेदक को इसके माध्यम से दावा करना चाहिए

या हस्ताक्षरकर्ता पार्टी के तहत। एक बार जब यह संबंध स्थापित हो जाता है, तो अदालत उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजेगी। "विल" शब्द के उपयोग को इसका उचित अर्थ देना होगा और इसे "मे" शब्द के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसा कि इसकी आम बोलचाल में उदारता से समझा जाता है। धारा 45 की भाषा में "होगा" अभिव्यक्ति का उद्देश्य यह है कि यदि इस प्रावधान की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो अदालत को मध्यस्थता का संदर्भ देना आवश्यक है। उस हद तक, हम इस निवेदन में योग्यता पाते हैं कि इस तरह का संदर्भ देने के लिए न्यायिक प्राधिकरण पर 1940 के अधिनियम की तुलना में अधिक दायित्व है। हालाँकि, संदर्भ के अधिकार को सख्ती से एक अक्षम्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। 1996 के अधिनियम की अनुसूची I के साथ पठित धारा 44 और 45 के तहत बताई गई पूर्व शर्तों की संतुष्टि पर ही कोई संदर्भ का दावा कर सकता है। इस प्रकार, यह एक कानूनी अधिकार है जिसकी अपनी रूपरेखा है और यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है, जो किसी भी दायित्व/सीमाओं से मुक्त है।

उस समझौते को। लेकिन, कभी-कभी ऐसा होता है कि दावा किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ या उसके द्वारा किया जाता है जिसे मूल रूप से एक पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया है। ये कुछ कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से, वे कानून के लिए पूर्ण बाधा नहीं हैं। मध्यस्थता समझौता। इस प्रकार, मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ता और तीसरे पक्ष के बीच मध्यस्थता संभव हो सकती है। बेशक, उस पक्ष पर यह दिखाने की भारी जिम्मेदारी है कि, वास्तव में और कानून में, वह हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा कर रहा है जैसा कि धारा 45 के तहत विचार किया गया है।

1996 एक्ट करें। केवल ऐसी स्थितियों से स्पष्ट रूप से निपटने के लिए, सर माइकल जे. मस्टिल द्वारा इंग्लैंड में वाणिज्यिक मध्यस्थता के कानून और व्यवहार (दूसरा संस्करण) में निम्नलिखित उदाहरणों का संदर्भ दिया जा सकता हैः

" 1. दावेदार वास्तव में हमेशा अनुबंध का एक पक्ष था, हालांकि उसमें उसका नाम नहीं था।

2. दावेदार नामित पक्ष के अधिकारों के लिए कानून के संचालन द्वारा सफल हुआ है। 3. दावेदार एक वैधानिक या सहमति से नए सिरे से नामित पक्ष के प्रतिस्थापन में अनुबंध का एक पक्ष बन गया है।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. मूल पक्ष ने दावेदार को या तो सौंपा है

अंतर्निहित अनुबंध, मध्यस्थता करने के समझौते के साथ जो

यह शामिल करता है, या एक दावे का लाभ जो पहले ही आ चुका है अस्तित्व में "।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय की दृढ़ राय थी

कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता और मध्यस्थता समझौते के पक्षकार के बीच एक कानूनी संबंध होना चाहिए।

24. कानूनी संबंध पर व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने स्वीकार किया

कानूनी संबंध। हालाँकि, स्वयं सिद्धांत के तत्वों की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने पक्षों की मंशा को सामने लाया कि क्या वे एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को एक पक्ष के रूप में मानने के लिए सहमत थे मध्यस्थता समझौता। यह अभिधारणा कंपनियों के समूह के सिद्धांत की संविदात्मक समझ को जोड़ती है, जो संविदात्मक सिद्धांतों की ओर इशारा किए बिना मध्यस्थता के ढांचे के भीतर विकसित हुई है।

25. एक ओर, इस न्यायालय ने मध्यस्थता की सीमा को कम कर दिया

एक सहमति वाला मामला होना। दूसरी ओर, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को किसी पक्ष को मध्यस्थता के लिए बाध्य करने के लिए अनुबंध कानून के तहत आवश्यकताओं पर स्थानांतरित किया जाता है।

26. न्यायालय द्वारा पढ़ने का आधार खोजने का प्रयास किया गया था

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 45 की भाषा के भीतर कंपनियों का समूह निम्नलिखित तरीके से सिद्धांत देता है:

" 99. उपरोक्त दोनों विचारों की जांच करने के बाद, हम हैं

सुविचारित राय कि यह किसी दिए गए मामले के तथ्य होंगे कि

यह क्षेत्राधिकार मंच के लिए उपदेश के रूप में कार्य करेगा कि क्या कोई

बताए गए सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए या नहीं। यदि तथ्यों में

एक मामले में, यह अर्थ लगाना संभव नहीं है कि व्यक्ति

फोरम से संपर्क करना मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है या एक

ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला व्यक्ति, तब मामला होगा

धारा के प्रावधानों के दायरे और दायरे में नहीं आता है और न्यायालय के लिए संदर्भ की अनुमति देना संभव नहीं हो सकता है

ऐसे पक्षकार के कहने पर या उसके विरुद्ध मध्यस्थता। 100. हम पहले ही विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख कर चुके हैं

उस में कहा गया है कि सी. ओ. एक्स. और किंग्स लिमिटेड के बीच मध्यस्थता संभव हो सकती है।

एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

एक समझौते और एक तीसरे पक्ष के लिए हस्ताक्षरकर्ता। बेशक, उस पक्ष पर यह दिखाने की भारी जिम्मेदारी है कि वास्तव में और कानून में,

यह एक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के तहत या उसके माध्यम से दावा कर रहा है, जैसे

1996 के अधिनियम की धारा 45 के तहत विचार किया गया। "

(जोर दिया गया)

27. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह न्यायालय कुछ निर्णयों पर चर्चा करता है।

इस संबंध में यूनाइटेड किंगडम से। रूसेल में-उक्लाफव। जी. डी. सियरले एंड कंपनी लिमिटेड और जी. डी. सियरले एंड कंपनी, [1978] एफ. एस. आर. 95, अदालत ने एक ऐसी कंपनी के खिलाफ मामले पर रोक लगाते हुए 'दावे के माध्यम से या उसके तहत' शब्द की व्याख्या की जो न तो पक्षकार थी और न ही मध्यस्थता समझौते के लिए गोपनीय थी। यहाँ, गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, और इसकी मूल कंपनी एक मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता थी। सहायक कंपनी ने दावा किया था कि उसे पेटेंट की गई वस्तुओं को बेचने का अधिकार है जो उसने मूल कंपनी से प्राप्त की थी क्योंकि मूल कंपनी

पेटेंट की गई वस्तुओं की बिक्री का आदेश दिया था। मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सहायक कंपनी मूल कंपनी के माध्यम से या उसके तहत 'दावा' कर रही थी। इसका मतलब यह था कि यदि मूल कंपनी लाइसेंस समझौते के तहत वस्तुओं को बेचने की हकदार थी, तो वही अधिकार सहायक कंपनी को भी मिला। हालाँकि यह मामला स्पष्ट रूप से कंपनियों के समूह की स्वीकृति का संकेत नहीं देता था

अंग्रेजी कानून के तहत सिद्धांत, शब्दों को केवल इस तरह के समावेश की संभावना के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

28. किसी भी मामले में, महापौर के मामले में अपील न्यायालय

और लंदन शहर के सामान्य अधिकार और नागरिक बनाम। अशोक संचेती, [2008] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1283 ने उक्लाफ मामले (ऊपर) को खारिज कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि 'केवल कानूनी या वाणिज्यिक संबंध अपर्याप्त है'। संक्षेप में, इसने वाक्यांश 'के माध्यम से या उसके तहत दावा करना' को केवल उन तीसरे व्यक्तियों तक सीमित कर दिया जो मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता के अधिकारों के आधार पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। यह देखा गया है कि क्लोरो कंट्रोल (ऊपर) में यह न्यायालय, दोनों मामलों को प्रेरक मानते हुए,

हालाँकि, निम्नलिखित तरीके से एक व्याख्या को दूसरे पर समर्थन देने के लिए तर्क प्रदान नहीं करता हैः

" 98. रूसेल में-उक्लाफ बनाम। जी. डी. सियरले एंड कंपनी लिमिटेड [(1978) 1 लॉयड्स

प्रतिनिधि 225] न्यायालय ने निर्णय दियाः

" तर्क बहुत अधिक विस्तार को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मैं

कोई कारण नहीं देखते कि अधिनियम में ये शब्द क्यों होने चाहिए एक पूर्ण स्वामित्व वाले [2022] 15 एस. सी. आर. को बाहर करने के लिए इतना संकीर्ण रूप से समझा गया।

सहायक कंपनी दावा करती है, जैसा कि यहाँ है, पेटेंट बेचने का अधिकार

जिन वस्तुओं को उसने अपने माता-पिता से प्राप्त किया है और उन्हें बेचने का आदेश दिया गया है। बेशक, यदि मध्यस्थता कार्यवाही इस तरह से निर्णय लेती है, तो यह अंततः पता चल सकता है कि मूल कंपनी गलती पर है और विचाराधीन वस्तुओं को बेचने का हकदार नहीं है। सभी; और, यदि ऐसा है, तो सहायक की भी समान रूप से गलती होगी। लेकिन, अगर माता-पिता निर्दोष हैं, तो यह केवल सामान्य ज्ञान लगता है कि सहायक को समान रूप से निर्दोष होना चाहिए। दोनों पक्षों ने

और उनके कार्य, मेरी राय में, इतने करीब हैं

इस मामले में तथ्यों से संबंधित है कि यह अभिनिर्धारित करना सही होगा कि सहायक यह स्थापित कर सकता है कि यह है मध्यस्थता खंड के दायरे में,

इस आधार पर कि यह माता-पिता के माध्यम से या उसके तहत दावा कर रहा है

वह करने के लिए जो वह वास्तव में कर रहा है या अंततः आयोजित किया गया है गलत होना या न होना। "

हालांकि, रूसेल-उक्लाफ मामले में अदालत द्वारा व्यक्त विचार [(1978) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 225] को लंदन शहर बनाम में अपील न्यायालय के फैसले में मंजूरी नहीं मिलती है। संचेती [2008 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 1283 (2009) 1 लॉयड का प्रतिनिधि 117 (सी. ए.)]। पैरा 34 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि रूसेल-उक्लाफ़ [(1978) 1 लॉयड के प्रतिनिधि 225] में दृष्टिकोण पालन करने की आवश्यकता नहीं है और एक के खिलाफ रोक प्राप्त नहीं की जा सकी

मध्यस्थता समझौते का पक्षकार या इसके माध्यम से दावा करने वाला व्यक्ति या

ऐसे पक्ष के तहत, केवल स्थानीय या वाणिज्यिक संबंध पर्याप्त नहीं है। लेकिन अपील न्यायालय ने जल्दबाजी में कहा कि, मामलों में

श्री संचेती की तरह, लंदन निगम नहीं था

मध्यस्थता समझौते के लिए पक्षकार, लेकिन संबंधित पक्षकार है

यूनाइटेड किंगडम सरकार। कि निश्चित रूप से परिस्थितियों में, राज्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार हो सकता है

अपने स्थानीय अधिकारियों में से किसी एक के कार्यों के लिए कानून, या स्थानीय अधिकारियों में से किसी एक द्वारा किए गए गलतियों के निवारण के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं,

समझौता "। 29. इस न्यायालय ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि सुकन्या होल्डिंग्स

क) मध्यस्थता की धारा 45 की व्याख्या के लिए लागू नहीं था।

सुकन्या होल्डिंग्स (ऊपर) का अनुपात सीमित था

मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के तहत इस तरह के प्रावधान।

30. यह ध्यान दिया जा सकता है कि क्लोरो नियंत्रण में अनुपात का पालन करना

क), 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में एक संशोधन X और किंग्स लिमिटेड v की सिफारिश की गई थी।

एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के तहत 'y' की परिभाषा को संशोधित करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) और 8, "मध्यस्थता के लिए एक पक्ष या ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति" के लिए इस न्यायालय द्वारा क्लोरो कंट्रोल (उपरोक्त) में विसंगति इंगित की गई 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा प्रासंगिक टिप्पणियां

नीचे संक्षिप्त किया गया है:

" 61 ..... इस प्रकार यह विवाद समाधान की एक विधि के रूप में मध्यस्थता की इस "सहमति" और "समझौते आधारित" स्थिति के साथ असंगत और असंगत होगा, उन व्यक्तियों को पकड़ना जो "पक्ष" नहीं हैं।

उसी से बाध्य होने के लिए मध्यस्थता समझौते के लिए। 62.हालांकि, एक पार्टी का मतलब जरूरी नहीं है कि केवल

" मध्यस्थता समझौते के लिए "हस्ताक्षरकर्ता। उचित रूप से

संदर्भों में, एक "पार्टी" का अर्थ केवल एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, बल्कि यह भी है

ऐसे हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति-के लिए उदाहरण के लिए, ऐसे पक्षों के उत्तराधिकारियों का हित, अहंकार का परिवर्तन

ऐसे दलों आदि से। यह विशेष रूप से सच है कि

असंबद्ध इकाइयाँ, जहाँ "व्यक्तित्व" का मुद्दा है

यह आमतौर पर एक कठिन कानूनी सवाल है और कई अन्य मुद्दों को उठाता है।

मुद्दे। इस सिद्धांत को न्यूयॉर्क द्वारा मान्यता प्राप्त है। कन्वेंशन, 1985 जो अनुच्छेद II (1) में मान्यता देता है

एक परिभाषित कानूनी के संबंध में पक्षों के बीच समझौता

संबंध, चाहे संविदात्मक हो या नहीं। ”

63.मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धारा 7 के तहत "मध्यस्थता समझौते" की परिभाषा से उधार लेता है

UNCITRAL मॉडल के अनुच्छेद 7 में संबंधित प्रावधान

कानून जो बदले में इसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद II से लेता है। हालांकि, धारा 2 (1) (एच) में "पक्ष" शब्द की परिभाषा एक "पक्ष" को संदर्भित करती है जिसका अर्थ है "मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष"। इसे केवल कहने के लिए सीमित रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है “ मध्यस्थता समझौते के लिए "हस्ताक्षरकर्ता", क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियाँ और संदर्भ हैं जहाँ एक "गैर-हस्ताक्षरकर्ता" को भी मध्यस्थता समझौते का "पक्षकार" कहा जा सकता है। इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्लोरो कंट्रोल्स बनाम में मान्यता दी गई थी। सेवर्न ट्रेंट जल शोधन, (2013) 1 एस. सी. सी. 641, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 45 के दायरे और व्याख्या पर विचार कर रहा था और उस संदर्भ में,

प्रासंगिक सिद्धांतों के दायरे पर चर्चा की, जिसके आधार पर "गैर-हस्ताक्षरकर्ता" को [2022] 15 एस. सी. आर. कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता समझौते से बाध्य होना, जिसमें अंतर के मामले भी शामिल हैं

संबंधित अनुबंध, कंपनियों के समूह का सिद्धांत आदि।

64.माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई यह व्याख्या इस प्रकार हैः

अधिनियम की धारा 45 के शब्दों से जो मान्यता देता है

"[एक पक्ष] के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" का आवेदन करने का अधिकार

आयोग ने "पार्टी" की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत।

(जोर दिया गया)

हमे यहाँ यह भी कहना चाहिए कि विधि आयोग ने जाँच नहीं की थी

'के माध्यम से या उसके तहत दावा' की व्याख्या। बल्कि, इसने केवल यह स्वीकार किया कि मध्यस्थता अधिनियम के भाग I के तहत मध्यस्थता के लिए इसका विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है।

31. उपरोक्त सिफारिश के अनुसार, विधायिका ने

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 (1) में निम्नलिखित संशोधन।

2016 का अधिनियम 3 के पश्चात् धारा 8 (1)

धारा 8 (1) 2016 के अधिनियम 3 से पहले

" 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां

एक मध्यस्थता समझौता है। (1) एक न्यायिक

| एक मध्यस्थता समझौता है। - (1) ए.

प्राधिकरण जिसके समक्ष एक कार्रवाई की जाती है

न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक कार्रवाई है

मामला जो मध्यस्थता का विषय है

एक विषय में लाया गया जो एक का विषय है

समझौता, यदि कोई पक्ष ऐसा बाद में लागू नहीं करता है

मध्यस्थता समझौता होगा, यदि एक पक्ष
मध्यस्थता समझौता या कोई भी व्यक्ति जो दावा करता है

पदार्थ पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करते समय

विवाद के बारे में, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें।

उसके माध्यम से या उसके तहत, इसलिए बाद में लागू नहीं होता है

पर अपना पहला बयान जमा करने की तारीख
विवाद का सार, तब, इसके बावजूद

सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश
न्यायालय या कोई भी न्यायालय, पक्षकारों को संदर्भित करता है

मध्यस्थता जब तक यह नहीं पाता कि प्रथम दृष्टया नहीं

वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद है।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

2015 के संशोधन में धारा में चार संशोधन किए गए

8 (1) . सबसे पहले, "पार्टी" की अवधारणा के दायरे का विस्तार किया गया है ताकि "के माध्यम से या उसके तहत" दावा करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। दूसरा, संशोधन

" विवाद के सार पर पहला बयान प्रस्तुत करने की तिथि। चौथा, उपरोक्त संशोधन पूर्व न्यायिक पूर्ववर्ती के बावजूद लागू होगा। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि संसद ने ऐसा नहीं किया है मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) में कोई भी संशोधन किया गया। इस तरह के संशोधन की अनुपस्थिति के प्रभाव की इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से जांच की जानी चाहिए। इसने एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है जिसमें संभावित रूप से एक पक्ष को "के माध्यम से या उसके तहत दावा करने" के लिए संदर्भित किया जा सकता है

मध्यस्थता, लेकिन मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत राहत लेने का अधिकार नहीं होगा। संभावित विसंगत परिणाम को इंगित करने के लिए यह केवल एक उदाहरणात्मक उदाहरण है।

32. अमित लालचंद शाह बनाम के मामले में। ऋषभ एंटरप्राइजेज,

(2018) 15 एस. सी. सी. 678, इस न्यायालय को एक ऐसे मामले से निपटना था जिसमें चार पक्षों ने एकल उद्देश्य के लिए चार समझौतों को निष्पादित किया था उत्तर प्रदेश में एक फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र का शुभारंभ। इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अनुबंधों को आपस में जुड़े हुए माना। हालांकि दोनों पक्ष अलग थे, फिर भी समझौते एक ही वाणिज्यिक परियोजना के आलोक में प्रभावी हुए। इसके बाद, न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की संशोधित धारा 8 (1) को लागू किया और मध्यस्थता को गैर-हस्ताक्षरकर्ता तक बढ़ाया और राय दी कि विवाद का समाधान केवल सभी चार समझौतों और उन पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करके किया जा सकता है। न्यायालय ने इसमें टिप्पणी कीः

" 25. समझौतों के पक्षकार, अर्थात् ऋषभ और जुवी इंडियाः (i) उपकरण और सामग्री आपूर्ति समझौता; और (ii)

इंजीनियरिंग, स्थापना और चालू करने का अनुबंध और ऋषभ और एस्टनफील्ड के बीच बिक्री और खरीद समझौते के लिए पक्ष मुख्य समझौते में पक्षों के समान हैं, अर्थात् उपकरण पट्टा समझौता (14-3-2012)।

चारों समझौते आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां कई पक्ष कई समझौतों/अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित एक एकल वाणिज्यिक परियोजना (डोंगरी में सौर संयंत्र) में शामिल हैं। ऐसे मामले में, सभी पक्ष [2022] 15 एस. सी. आर. कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुख्य समझौते में मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया जाए

अर्थात् उपकरण पट्टा समझौता (14-3-2012)।

26. चूंकि ऋषभ के तीनों समझौते जुवी इंडिया के साथ हुए थे

और एस्टनफील्ड का उद्देश्य फोटोवोल्टिक को चालू करना था उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा के डोंगरी में सौर संयंत्र परियोजना,

उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि बिक्री और खरीद

समझौता (5-3-2012) मुख्य समझौता है। उच्च न्यायालय ने हमारा दृष्टिकोण, सभी खंडों में विभिन्न खंडों को ध्यान में नहीं रखने में गलती हुई

तीन समझौते जो उन्हें एक अभिन्न अंग बनाते हैं

प्रमुख समझौता, अर्थात् उपकरण पट्टा समझौता (14)

3-2012) और उच्च न्यायालय का विवादित आदेश नहीं हो सकता है

टिका हुआ "।

(जोर दिया गया)

33. क्लोरो कंट्रोल (सुप्रा) की व्याख्या आगे थी

चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में विस्तार किया गया। कस्तूरी एंड संस लिमिटेड, (2018) 16 एस. सी. सी. 413। उस मामले में, इस न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 35 की व्याख्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ एक पुरस्कार लागू करने के लिए की, भले ही उसने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था।

34. मामले में यह अदालत, रेकिट बेंकिजर (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम।

रेंडर्स लेबल प्रिंटिंग (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2019) 7 एस. सी. सी. 62, जिसमें इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने "कंपनियों के समूह" सिद्धांत को लागू करने से इनकार कर दिया क्योंकि आवेदक मध्यस्थता समझौते से बंधे उत्तरदाताओं के इरादे की समानता को साबित करने में विफल रहाः

" 4. क्लोरो कंट्रोल्स में प्रदर्शनी को ध्यान में रखते हुए। अन्य में

शब्दों में, क्या निर्विवाद परिस्थितियाँ दिखाती हैं

उत्तरदाता 1 और उत्तरदाता 2, क्रमशः आवेदक के बीच मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व

और कथित उत्तरदाताओं।

12. इस प्रकार, प्रत्यर्थी 2 न तो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता था और न ही इसका कोई कारण संबंध X और किंग्स लिमिटेड v था।

एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

समझौते से पहले बातचीत की प्रक्रिया के साथ

या उसका निष्पादन, जो भी हो। यदि मुख्य पट्टिका

आवेदक, जिसके लिए श्री फ्रेडरिक रेंडर्स काम कर रहे थे

प्रत्यर्थी 2 की ओर से और प्रत्यर्थी 2 का अधिकार था,

2 कंपनियों के समूह का एक घटक होता है जिसमें से उत्तरदाता 1 भी एक घटक है, जिसका कोई लाभ नहीं होगा। के लिए,

उस प्रत्यर्थी को स्थापित करने का भार आवेदक पर है

2 मध्यस्थता समझौते के लिए सहमति देने का इरादा था और उसमें पक्षकार बनें, शायद सीमित उद्देश्य के लिए

समझौते में क्षतिपूर्ति खंड 9 को लागू करना, जो

उत्तरदाता 1 और किसी के खिलाफ आपूर्तिकर्ता समूह को संदर्भित करता है

हानि, क्षति और व्यय का दावा, चाहे वह कितना भी हो

उसमें निर्दिष्ट मामलों के साथ संबंध। वह बोझ है आवेदक द्वारा बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी गई। इस निष्कर्ष पर, यह होना चाहिए

अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करें कि प्रतिवादी 2 के अधीन नहीं किया जा सकता है

प्रस्तावित मध्यस्थता कार्यवाही। कथनों पर विचार करते हुए विचाराधीन आवेदन, यह हमारे लिए आवश्यक नहीं है

इस तथ्य की जांच करें कि समूह के कौन से अन्य घटक

कंपनियाँ, जिनमें से उत्तरदाता एक हिस्सा हैं, ने भाग लिया था

वार्ता प्रक्रिया में "।

(जोर दिया गया)

35. महानगर में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में

निगम लिमिटेड बनाम केनरा बैंक, (2020) 12 एस. सी. सी. 767

वेद कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत का उपयोग एक को बांधने के लिए किया जा सकता है

एक मध्यस्थता के लिए पक्षकार, यदि एक मजबूत आर्थिक वास्तविकता का गठन करने वाली कॉर्पोरेट समूह संरचना मौजूद थी। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 10.6 . वे परिस्थितियाँ जिनमें "कंपनियों का समूह"

एक के गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी को बांधने के लिए सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है

मूल कंपनी, या किसी मध्यस्थता में किसी तीसरे पक्ष को शामिल करना, यदि

उस पक्ष के बीच सीधा संबंध है जो हस्ताक्षरकर्ता है

मध्यस्थता समझौते के लिए; विषय की प्रत्यक्ष समानता

मामला; के बीच लेनदेन की समग्र प्रकृति

पार्टियाँ। एक "समग्र लेनदेन" एक ऐसे लेनदेन को संदर्भित करता है जो

प्रकृति में परस्पर जुड़ा हुआ है; या, जहां समझौते का प्रदर्शन [2022] 15 एस. सी. आर.

सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना संभव नहीं हो सकता है प्राप्त करने के लिए पूरक या सहायक समझौते का

सामान्य उद्देश्य, और सामूहिक रूप से विवाद पर असर डालना।

10.7 . कंपनियों के समूह का सिद्धांत भी रहा है

ऐसे मामलों में लागू किया जाता है जहां एक तंग समूह संरचना होती है मजबूत संगठनात्मक और वित्तीय संबंधों के साथ, ताकि

एक एकल आर्थिक इकाई, या एक एकल आर्थिक इकाई का गठन करता है

वास्तविकता। ऐसी स्थिति में, हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता

मध्यस्थता समझौते के तहत एक साथ बंधे हुए हैं।

यह विशेष रूप से तब लागू होगा जब एक कंपनी की निधि

समूह से। [1982 का आई. सी. सी. मामला संख्या 4131, आई. सी. सी. मामला संख्या 5103 1988 से।] "

(जोर दिया गया)

हम देख सकते हैं कि इन मामलों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया गया है,

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत होने वाले वाक्यांश 'के माध्यम से या उसके तहत होने का दावा' के दायरे का उल्लेख किए बिना।

36. क्लोरो नियंत्रण (ऊपर) मामले का अनुपात इंगित करता है कि

पक्षकारों का मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने का व्यक्तिपरक इरादा जब पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इन दोनों में सुलह करना मुश्किल है और इस न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

37. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सिद्धांत, जैसा कि व्याख्या की गई है, की आवश्यकता है

गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को 'अपने अधिकार में पक्षकार' के रूप में शामिल करना। यह जॉइंडर गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं पर आधारित नहीं है जो 'के माध्यम से या उसके तहत' दावा करते हैं। इस तरह के जुड़ाव का प्रभाव वाणिज्यिक वास्तविकता को मिटाने और सहायक कंपनियों को अलग रखने के लाभों पर पड़ता है। एकल आर्थिक इकाई जैसी अवधारणाएँ आर्थिक अवधारणाएँ हैं जिन्हें कानून के सिद्धांतों के रूप में लागू करना मुश्किल है।

38. क्लोरो नियंत्रण में इस न्यायालय द्वारा जिन क्षेत्रों को खुला छोड़ दिया गया था

(उपर्युक्त) मामले ने इस सिद्धांत की कुछ व्यापक-आधारित समझ पैदा की है जो उपयुक्त नहीं हो सकती है और स्पष्ट रूप से कंपनियों की विशिष्ट कानूनी पहचान और स्वयं पार्टी की स्वायत्तता के खिलाफ जाएगी। उपरोक्त मामले में उपरोक्त व्याख्या स्पष्ट रूप से उस सिद्धांत की समझ को इंगित करती है जो किसी क्षेत्राधिकार में टिकाऊ नहीं हो सकता है जो इसका सम्मान करता है।

पार्टी की स्वायत्तता। कंपनियों के समूह के सिद्धांत से संबंधित सैद्धांतिक तत्वों पर फिर से विचार करने की स्पष्ट आवश्यकता है।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

39. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कंपनियों के समूह का सिद्धांत रहा है

अलग-अलग डिग्री में स्वीकार किया जाता है। स्विस अदालतें आमतौर पर अपने स्विट्जरलैंड डी लेज लाटा के तहत इस तरह के सिद्धांत को मान्यता नहीं देती हैं। 2 एक अंग्रेजी न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" श्री हॉफमैन ने लापरवाही से सुझाव दिया कि यह तकनीकी होगा

हमारे लिए मूल और सहायक कंपनी के बीच अंतर करने के लिए

इस संदर्भ में; आर्थिक रूप से, उन्होंने कहा, वे एक थे। लेकिन हम हैं।

इसका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि कानून से है। यह अंतर दोनों के बीच, कानून में, मौलिक है और यहाँ नहीं हो सकता है

बांध दिया "। 3

(जोर दिया गया)

40. इसी तरह, पीटरसन फ़ार्म्स इंक. बनाम के मामले में। सी एंड एम

फार्मिंग लिमिटेड, 4 एक मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी गई थी जिसमें दावेदार को क्वीन बेंच डिवीजन (वाणिज्यिक न्यायालय) के समक्ष अपनी ओर से और साथ ही अपनी समूह संस्थाओं की ओर से हर्जाना प्राप्त हुआ था। न्यायालय ने आंशिक रूप से पुरस्कार को रद्द कर दिया और कहा कि कंपनियों का समूह सिद्धांत देता है

यह अंग्रेजी कानून का हिस्सा नहीं है। इसने आगे कहा कि अलग कानूनी संस्थाओं और एक सामान्य एजेंसी बनाने के लिए एक कॉर्पोरेट संरचना मौजूद है।

रिश्ता इस उद्देश्य को विफल कर देगा। न्यायालय ने इसमें अभिनिर्धारित कियाः

वैध उद्देश्य जो अक्सर यदि आमतौर पर पराजित नहीं होते हैं उनके बीच किसी भी सामान्य एजेंसी संबंध द्वारा।

41. ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, कमाना अनुसंधान के मामले में

लैबोरेटरीज इंक. वी. ओ 'ब्रायन, (1990) 169 सी. एल. आर. 332 ने "दावे के माध्यम से और उसके तहत" वाक्यांश की व्याख्या निम्नलिखित तरीके से कीः

" ..... एक व्यक्ति जो किसी पार्टी के माध्यम से या उसके तहत दावा करता है वह या तो एक हो सकता है

लागू करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति या विरोध करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति

एक कथित संविदात्मक अधिकार का प्रवर्तन। विषय का

बिनि उनाव, 'आरो' सिङाव 'नि गेजेरजों आगजुफोरा फोरमायो कार्रवाई के व्युत्पन्न कारण या रक्षा के आधार की धारणा,

अर्थात्, कार्रवाई का कारण या बचाव का आधार

2 24 मार्च 2000 के जिनेवा चैंबर ऑफ कॉमर्स मामले में पुरस्कार, 21 ए. एस. ए. बुल। 781 (2003) . 3 3 बैंक ऑफ टोक्यो बनाम। करूण, [1987] एसी 45

4 [2004] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 121 (कॉम)

पार्टी से। दूसरे शब्दों में, एक आवश्यक तत्व

कार्रवाई या बचाव का कारण होना चाहिए या होना चाहिए

व्यक्ति के समक्ष पक्ष द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य

पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करना कारण पर भरोसा कर सकता है कार्रवाई या रक्षा का आधार।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त मामले में, एक कंपनी और उसके लेनदार ने एक

मध्यस्थता खंड वाला अनुबंध। इसके बाद, मुकदमेबाजी शुरू हुई, और एक सवाल उठा कि क्या कंपनी का परिसमापक मध्यस्थता खंड पर भरोसा कर सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिसमापक एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कंपनी के माध्यम से या उसके तहत दावा कर सकता है क्योंकि बचाव के आधार और कार्रवाई के कारण कंपनी में निहित हैं या कंपनी द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह था कि कार्रवाई या बचाव के कारण का एक आवश्यक तत्व मूल पक्ष द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति से पहले निहित या प्रयोग करने योग्य होना चाहिए।

या उक्त पक्ष के तहत उसी पर भरोसा किया जा सकता है।

42. एक अलग कोण से देखा जाए तो विद्या के मामले में यह अदालत

ड्रोलिया वी. दुर्गा व्यापार निगम, (2021) 2 एस. सी. सी. 1 ने नोट किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और धारा 11 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा समान है। धारा 8 और धारा 11 के तहत शक्ति के संबंध में उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

239. इसके अलावा, धारा 8 में संशोधन अब सुधार करता है

क्लोरो नियंत्रण मामले में कमियों की ओर इशारा किया गया [क्लोरो

कंट्रोल्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट जल शोधन

, (2013) 1 एस. सी. सी. 641: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 689]

घरेलू मध्यस्थता। से संबंधित न्यायिक मुद्दे

कुछ पक्ष एक विशेष मध्यस्थता द्वारा बाध्य हैं, जिसके तहत

ट्रिब्यूनल को संभालने के लिए सबसे अच्छा छोड़ दिया गया। में संशोधन इस मोर्चे पर धारा 8 विधायी इरादे को भी इंगित करती है।

स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को और कम करने के लिए

संदर्भ।

240. अदालतें, धारा 8 के तहत एक मामले का विश्लेषण करते समय, चुन सकती हैं उन मुद्दों की पहचान करना जिनके लिए निर्णय की आवश्यकता होती है

मध्यस्थता समझौते की वैधता। यदि न्यायालय कॉक्स और किंग्स लिमिटेड v पर निर्णय नहीं दे सकता है।

एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [एन. वी. रमना, सीजेआई]

244.1 . न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में अधिनियम की धारा 8 और 11 का समान दायरा है। 244.3 . अदालत को धारा 8 और 11 के तहत एक

जैसा भी मामला हो, मध्यस्थता या मध्यस्थ नियुक्त करने का मामला

हो सकता है, जब तक कि किसी पक्ष ने प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया हो (सारांश निष्कर्ष) वैध मध्यस्थता का अस्तित्व न होने का मामला

समझौता, एक मजबूत मामले को संक्षेप में चित्रित करके कि वह

इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है।

(जोर दिया गया)

43. विद्या द्रोलिया (ऊपर) के उपरोक्त मामले में, यह न्यायालय

मुख्य रूप से मध्यस्थता के संदर्भ में सीमा मानक को चित्रित किया। उपरोक्त मामले में मुख्य रूप से यह निर्धारित किया गया है कि जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई आवेदन किया जाता है, तो इसके दायरे पर विचार करते हुए

न्यायिक हस्तक्षेप, न्यायालयों को केवल एक मध्यस्थता समझौते के प्रथम अस्तित्व पर गौर करने की आवश्यकता होती है।

44. उपरोक्त मामला पूर्व-प्रमुख रूप से के दायरे से निपटा गया

रेफरल चरण में न्यायिक हस्तक्षेप। हालाँकि, इस न्यायालय के पास कंपनियों के समूह के सिद्धांत के न्यायशास्त्रीय आधार और मध्यस्थता के लिए "गैर-हस्ताक्षरकर्ता" को संदर्भित करने के लिए आवश्यक सामग्री का पता लगाने का अवसर नहीं था। विशेष रूप से, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के स्तर पर न्यायिक संदर्भ के दायरे पर मध्यस्थता अधिनियम की असंशोधित धारा 2 (1) (एच) के दायरे को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

45. एक मध्यस्थता समझौता पक्षों पर बाध्यकारी हो सकता है, चाहे

हस्ताक्षरकर्ता या गैर-हस्ताक्षरकर्ता, बशर्ते कि उन्हें बांधने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार हो। गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता [2022] 15 एस. सी. आर. के लिए बाध्य करने के लिए अधिकांश कानूनी आधार।

समझौते संविदात्मक मूल के होते हैं, जैसे एजेंसी आदि। न्यायशास्त्र ने दिखाया है कि मध्यस्थता अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, बहुत अधिक नहीं बैठता है

अच्छी तरह से गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करने में। उसी पर व्याख्या करते हुए, प्रोफेसर विलियम पार्क ने अपने एक प्रमुख कार्य में मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को संलग्न करते हुए इस दुविधा को नीचे दिया हैः

" मध्यस्थों के लिए, गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल होने के प्रस्ताव तनाव पैदा करते हैं दो सिद्धांतों के बीचः मध्यस्थता की सहमति की प्रकृति को बनाए रखना,

और बाध्य करके पुरस्कार की व्यावहारिक प्रभावशीलता को अधिकतम करना।

संबंधित व्यक्ति। उनके तर्क की सीमा तक धकेल दिया, प्रत्येक लक्ष्य अंक

विपरीत दिशा में। तनाव को हल करने में आम तौर पर निहितार्थ होता है

इन दोनों सिद्धांतों पर नीचे चर्चा की गई हैः निहित सहमति और उपेक्षा

कॉर्पोरेट व्यक्तित्व। "गैर-हस्ताक्षरकर्ता" शब्द उन चीज़ों के लिए उपयोगी है जो हो सकती हैं।

एक मध्यस्थता के लिए "कम-से-स्पष्ट" पक्ष कहा जाए

खंडः व्यक्ति और संस्थाएं जो कभी कागज पर कलम नहीं डालती हैं, लेकिन फिर भी के तहत मध्यस्थता का हिस्सा होना चाहिए

प्रासंगिक व्यावसायिक संबंधों की परिस्थितियाँ। द.

किसी ऐसे व्यक्ति को नामित करें जिसका मध्यस्थता करने का अधिकार या दायित्व हो सकता है वास्तविक लेकिन आत्म-स्पष्ट नहीं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक "गैर-हस्ताक्षरकर्ता" हो सकता है

मध्यस्थता के लिए बाध्य एक की आवश्यकता के साथ वितरित नहीं करता है मध्यस्थता समझौता। बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि

समझौता कुछ के माध्यम से अपने बाध्यकारी बल लेता है

हस्ताक्षर की औपचारिकता के अलावा अन्य परिस्थिति।

(जोर दिया गया)

46. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि

कंपनियों के सिद्धांत को सावधानी और केवल इस तथ्य के साथ लागू किया जाना चाहिए कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता संबद्ध कंपनियों के समूह का सदस्य है, जो मध्यस्थता समझौते के विस्तार का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हस्ताक्षरकर्ता। इस संदर्भ में गैरी बोर्नो नीचे टिप्पणी करते हैं:

" कंपनियों के दस्तावेज़ों का समूह

बाध्यकारी गैर के लिए एक और महत्वपूर्ण, लेकिन विवादास्पद आधार

मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ता "कंपनियों का समूह" है।

5 विलियम डब्ल्यू. पार्क, गैर-हस्ताक्षरकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधः एक मध्यस्थ की दुविधा, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में कई दलों में (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) (2009)।

6 गैरी B.Born का, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, तीसरा संस्करण, खंड I, पृष्ठ 1558-1559 COX और किंग्स लिमिटेड v.

सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत, किसी अनुबंध के गैर-हस्ताक्षरकर्ता कर सकते हैं

उन कारकों के आधार पर सहयोगी मध्यस्थता खंड के लिए पक्ष माना जाएगा जो अक्सर एक परिवर्तनशील अहंकार विश्लेषण के लिए प्रासंगिक लोगों के साथ मोटे तौर पर तुलनीय होते हैं। विशेष रूप से, जहां एक कंपनी एक कॉर्पोरेट समूह का हिस्सा है, एक निगम संबद्ध के नियंत्रण (या नियंत्रण) के अधीन है जिसने एक अनुबंध को निष्पादित किया है और उस अनुबंध की बातचीत या प्रदर्शन में शामिल है, तो वह कंपनी कुछ परिस्थितियों में उस अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान या अधीन हो सकती है, इसके बावजूद कि

तथ्य यह है कि उसने अनुबंध को स्वयं निष्पादित नहीं किया है।

मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए अन्य आधारों के विपरीत (जैसे एजेंसी, परिवर्तन अहंकार, रोक, तीसरे पक्ष के लाभार्थी, या असाइनमेंट), कंपनियों के समूह का सिद्धांत विशेष रूप से मध्यस्थता के संदर्भ में विकसित किया गया था और आमतौर पर उस संदर्भ के बाहर लागू नहीं किया जाता है। कम से कम अब तक, समूह कंपनियों के सिद्धांत को भी स्पष्ट रूप से केवल सीमित संख्या में क्षेत्राधिकारों के लिए स्वीकार किया गया है (विशेष रूप से, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, फ्रांस)। आंशिक रूप से इस कारण से, इस सिद्धांत ने पर्याप्त विवाद को जन्म दिया है।

गैरी बी बोर्न (फुटनोट 222 और 223 में) इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि फ्रांस और भारत में केवल कुछ ही अधिकार क्षेत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के संदर्भ में और कंपनियों के समूह के सिद्धांत की प्रचलित आलोचना के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू किया है।

47. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उचित समझते हैं -

इस पहलू पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुसार मध्यस्थता अधिनियम की संशोधित धारा 8 में होने वाले 'दावे के माध्यम से या उसके तहत' की व्याख्या के पहलू को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करें। क्लोरो कंट्रोल (ऊपर) में निर्धारित कानून और उसके बाद के मामले, अर्थशास्त्र और सुविधा पर अधिक आधारित प्रतीत होते हैं।

कानून की तुलना में। यह एक सही तरीका नहीं हो सकता है। पीठ क्लोरो कंट्रोल (उपरोक्त) और उसके बाद के मामलों में निर्धारित कानून की शुद्धता पर संदेह करती है।

48. एक अलग नोट पर, हम इस बात से अवगत हैं कि एक बड़ी पीठ का संदर्भ आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।

हालाँकि, हम देखते हैं कि यहाँ उठाए गए प्रश्न भारत में मध्यस्थता प्रथा के लिए मौलिक हैं और इसके बड़े पैमाने पर परिणाम हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले की पेचीदगियों को स्पष्ट करने के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना उचित समझते हैं। कंपनी समूह निम्नलिखित प्रश्नों का सिद्धांत और उत्तर देता है:

चाहे धारा 8 में वाक्यांश 'के माध्यम से या उसके तहत दावा करना' हो

ए।

और 11 की व्याख्या 'कंपनियों के समूह' को शामिल करने के लिए की जा सकती है।

सिद्धांत?

बी।

क्या 'कंपनियों के समूह' के सिद्धांत की व्याख्या की गई है

क्लोरो नियंत्रण मामले (ऊपर) और बाद के निर्णयों द्वारा

कानून में वैध हैं?

सूर्या कान्ट, जे।

1. मुझे माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए एक विद्वतापूर्ण और स्व-भाषी आदेश से गुजरने का लाभ मिला है।

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की शुद्धता। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. और ए. एन. आर. 1 और एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कानून के प्रश्नों को तैयार करना। शुरुआत में, मैं इस बात से सहमत हूं कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत की रूपरेखा को एक बड़ी पीठ द्वारा तय करने की आवश्यकता है, मेरे विचार नीचे दिए गए कारणों के लिए भारतीय मध्यस्थ न्यायशास्त्र के एक अभिन्न अंग के रूप में सिद्धांत के पक्ष में हैं।

2. इस मामले में जो प्रश्न विचार के लिए पड़ा है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 की मूल कंपनी, अर्थात् प्रतिवादी

नंबर 2, इस मध्यस्थता याचिका में इस तथ्य की परवाह किए बिना जोड़ा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने केवल एस. ए. टी.-सॉफ्टवेयर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट और एस. ए. पी.-एंटरप्राइज सपोर्ट शेड्यूल में प्रवेश किया था।

सहायक। याचिकाकर्ता ने अपनी ई-वाणिज्य समस्याओं के लिए ग्रीनफील्ड समाधान मांगे, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी हाइब्रिस समाधान प्रणाली प्रदान की। समय के साथ, पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गए। इस चरण के दौरान, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 से पक्षों के बीच मध्यस्थता करने का अनुरोध किया था। लेकिन, विवादों का समाधान नहीं हो सका। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू

की और बाध्य करने की मांग की मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता न हो।

कार्यवाहियों के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 भले ही उक्त प्रत्यर्थी

1 2013 1 एससीसी 641।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

& एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

3. इस मुद्दे पर कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 को शामिल किया जा सकता है

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच लंबित मध्यस्थता, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने नोट किया है कि भारतीय कानून के तहत गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल करने का आधार कंपनी सिद्धांत का समूह रहा है। क्लोरो कंट्रोल्स एंड चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड में हिस्सेदारी पर चर्चा करते हुए। कस्तुरी एंड संस लिमिटेड और अन्य 2, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इन निर्णयों के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय न्यायशास्त्र के भीतर कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू किया है, वह सुसंगत और ठोस है या नहीं।

4. माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से विश्लेषण किया है

कंपनी समूह के सिद्धांत की स्थिरता और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि

(i)

कंपनी सिद्धांत के समूह का अनुप्रयोग

क्लोरो कंट्रोल्स मध्यस्थता कार्यवाही में एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को शामिल करने के लिए पक्षों के इरादे पर निर्भर करता है। हालाँकि, उस निर्णय में न्यायालय संविदात्मक सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहा, जिसके आधार पर ऐसा इरादा है

व्याख्या की गई;

"एकल" की धारणा के आधार पर गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं का जॉइंडर

(ख)

आर्थिक इकाई "वाणिज्यिक वास्तविकता और उसी के भीतर विभिन्न पक्षों के साथ व्यवहार करने के महत्व की अनदेखी करती है।

अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में कंपनियों का समूह;

iii)

क्लोरो नियंत्रण के बाद एक विस्तार हुआ है

कंपनी सिद्धांत का समूह। सिद्धांत की एक व्यापक व्याख्या पार्टी के सिद्धांत के विपरीत है।

स्वायत्तता;

(iv)

क्लोरो से शुरू होने वाले इस न्यायालय के निर्णयों की पंक्ति

नियंत्रण, सुविधा पर अधिक आधारित प्रतीत होते हैं और

एक सुसंगत और स्पष्ट कानूनी सिद्धांत के बजाय विवादों के समाधान में आर्थिक दक्षता जो पार्टी की स्वायत्तता और इरादे का सम्मान करती है;

वाक्यांश "के माध्यम से या उसके तहत दावा करना" जैसा कि प्रदान किया गया है

v)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 (इसके बाद, "अधिनियम"), जैसा कि मध्यस्थता के माध्यम से संशोधित किया गया है।

22018 16 एससीसी 413।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन अधिनियम, 2016, भारतीय कानून में कंपनी समूह सिद्धांत को पढ़ने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता है।

ए. कंपनियों के समूह सिद्धांत की उत्पत्ति

5. आम तौर पर न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा मध्यस्थता समझौते को 'विस्तारित' करने या संविदाकारी पक्ष के एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी को मध्यस्थता खंड के लिए 'बाध्य' करने के लिए मध्यस्थता में कंपनी सिद्धांत समूह का आह्वान किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जहाँ एक मध्यस्थता

समूह की कंपनियों में से एक द्वारा समझौता किया जाता है, समूह के अन्य सदस्य मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकते हैं यदि तथ्य और परिस्थितियाँ, पक्षकारों के आचरण सहित, इंगित करते हैं कि पक्षों का सही इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को भी बांधना था।

महत्वपूर्ण है कि उनमें से किसके लिए सेंट गोबेन के साथ वितरण समझौतों का प्रदर्शन किया गया और सभी पक्षों का सामान्य इरादा यह था कि वे अनुबंध के प्रदर्शन में भूमिका निभाएंगे। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि डाउ केमिकल समूह के भीतर की कंपनियों ने एक एकल 'आर्थिक वास्तविकता' या इकाई के रूप में कार्य किया और यह कि सेंट गोबेन के साथ वितरण समझौतों के गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य होंगे, भले ही उन्होंने प्रदर्शन किया हो

अनुबंध।

7. डाउ केमिकल्स में न्यायाधिकरण ने आवश्यक तत्वों को निर्धारित किया

कंपनी सिद्धांत समूह को आकर्षित करने के लिए, जो निम्नानुसार हैः

' ..... इसके प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट न्यायिक पहचान के बावजूद, कंपनियों का एक समूह एक ही आर्थिक वास्तविकता का गठन करता है जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लेना चाहिए। जब यह अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करता है।

XXX

रेव अरब 137 1984; 110 जे. डी. आई. 899 (1983)।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

& एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

यह विचार करते हुए कि न्यायाधिकरण, तदनुसार, निर्धारित करेगा

विचाराधीन मध्यस्थता खंडों का दायरा और प्रभाव,

और इस प्रकार अधिकार क्षेत्र के संबंध में अपने निर्णय तक पहुँचने के लिए,

इन पक्षों के सामान्य इरादे का संदर्भ

कार्यवाहियाँ, जैसे कि परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि

और बाद में अनुबंधों की समाप्ति जिसमें वे दिखाई देता है।

XXX

विशेष रूप से, इस बात पर विचार करते हुए कि मध्यस्थता खंड

समूह की कुछ कंपनियों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया

उन अन्य कंपनियों को बाध्य करना चाहिए जो अपनी भूमिका के आधार पर

अनुबंधों के समापन, निष्पादन या समाप्ति में

उक्त खंडों को शामिल करते हुए, और पारस्परिक के अनुसार कार्यवाही के सभी पक्षों का इरादा, प्रतीत होता है

इन अनुबंधों के लिए वास्तविक पक्ष थे या थे

मुख्य रूप से उनसे संबंधित और वे विवाद जिन पर वे

बढ़ सकता है "।

(जोर दिया गया)

बी. विदेशी क्षेत्राधिकार में कंपनियों के समूह का सिद्धांत

8. कंपनियों के समूह के विकास को याद करना महत्वपूर्ण है

भारतीय संदर्भ में उभरी कुछ दृश्यमान विसंगतियों को समझने के लिए फ्रांस और अन्य क्षेत्राधिकारों में सिद्धांत।

9. उपयोग के संदर्भ में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा अभ्यास

ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिद्धांत एक तथ्य बनने की ओर बढ़ा है।

सघन व्यायाम। इस संदर्भ में, फ्रांस में भी जो सामने आया है, जहां सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है, वह यह है कि कंपनियों के एक समूह का अस्तित्व मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के सहयोगी के लिए एकमात्र पर्याप्त शर्त नहीं है। आई. सी. सी. मामले सं. में न्यायाधिकरण। 7604 & 76101 ने सिद्धांत के अनुप्रयोग में चरणों का सारांश दिया था और कहा थाः

... .हालांकि एक समूह का अस्तित्व पहली शर्त है

मध्यस्थता कार्यवाही में किसी तीसरे पक्ष को शामिल करना, यह भी है

उस समय पक्षों के वास्तविक इरादे को निर्धारित करने के लिए आवश्यक तथ्यों का या, कम से कम गैर-हस्ताक्षरकर्ता का इरादा

तृतीय पक्ष "।

4 1995 के मामले संख्या 7604 और 7610 में आई. सी. सी. पुरस्कार, 125 जे. ड्रोइट इंटरनेशनल 1027 (1998) और 4 आई. सी. सी. पुरस्कार 510।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. आई. सी. सी. मामला संख्या 107585 में अंतिम पुरस्कार के बारे में विस्तार से बताया गया है

इसके बाद,

" मध्यस्थता समझौते का गैर-हस्ताक्षरकर्ता तक विस्तार

यह केवल निगमित संरचना या नियंत्रण का सवाल नहीं है, बल्कि

बल्कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी में से एक समझौते की बातचीत, निष्कर्ष या निष्पादन, या

दूसरे पक्ष के प्रति उसका आचरण कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण

अनुमान लगा सकते हैं। "

11. बर्नार्ड हनोटियाउ, यकीनन फ्रांस के प्रमुख विद्वान

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, डाउ केमिकल्स के बाद से फ्रांसीसी न्यायशास्त्र का उल्लेख करते हुए, राय दी है कि,

" कंपनियों के एक समूह का अस्तित्व एक विशेष प्रदान करता है

इंगित किया है, जब कंपनियों का एक समूह होता है, एक यह मान सकते हैं कि मूल कंपनी अपनी सहायक कंपनियों को बांधती है;

लेकिन दूसरी ओर, केवल वे कंपनियाँ जो वार्ता और निष्पादन में काफी हद तक शामिल

मध्यस्थता खंड वाला समझौता होगा

बाद वाले के पक्ष माने जाते हैं। मामला कानून हमेशा नहीं होता है इस संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट। ज्यादातर मामलों में, ऐसा लगता है कि केवल

एक महत्वपूर्ण भागीदारी का गठन करने के लिए पर्याप्त माना जाता है सहमति या अनुसमर्थन। हालांकि, कुछ मामलों से पता चलता है कि

पार्टी के आचरण को आवश्यक रूप से एक नहीं माना जाना चाहिए

एक पक्ष की निहित सहमति की अभिव्यक्ति; बल्कि एक पक्ष की

वार्ता और निष्पादन में पर्याप्त भागीदारी

अनुबंध और अस्तित्व का ज्ञान एक विकल्प के रूप में मध्यस्थता खंड की अपनी एक स्थिति है।

सहमति के लिए "6

(जोर दिया गया)

12. इस प्रकार, कंपनियों के समूह के सिद्धांत की प्रासंगिकता

इसकी उत्पत्ति का अधिकार क्षेत्र एक विशेष लेंस होने का है जिसके माध्यम से पक्षों के इरादों की व्याख्या की जाती है। एक निकट समूह संरचना का अस्तित्व

5 2000 के मामले संख्या 10758 में आई. सी. सी. पुरस्कार, 6 आई. सी. सी. सीटी बुल 87 (संख्या 2,2005), 5 आई. सी. सी. पुरस्कार 537, जे. डी. आई. 2001,1171।

6 बर्नार्ड हनोटियाउ, 'अनुबंध (ओं) या उसमें निहित मध्यस्थता खंड (ओं) के पक्ष कौन हैं? बर्नार्ड हनोटियाउ (संस्करण), जटिल मध्यस्थताओं में न्यायालयों और मध्यस्थता न्यायाधिकरणों द्वारा लागू सिद्धांतः बहु-पक्षीय, बहु-अनुबंध, बहु-मुद्दा-एक तुलनात्मक अध्ययन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2020)।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष की निहित सहमति का निर्धारण करते समय केवल एक विचार होगा।

13. बाद के फ्रांसीसी अदालत के फैसलों ने भी ऐसा ही रुख अपनाया है। लैकोवोग्लू प्रोडोमोस एंड कंपनी वी. एस. ए. एस. आयाम ', द कोर डी

कैसेशन ने मुख्य समझौते के निष्पादन में तीसरे पक्ष की भागीदारी की आवश्यकता को दोहराया ताकि वह उसमें निहित मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो। बस कंपनियों के एक करीबी समूह का अस्तित्व अपर्याप्त होगा। सोसाइटी अल्काटेल में

बिजनेस सिस्टम v. सोसाइटी एकमोर टेक्नोलॉजी, कोर्ट डी कैसेशन ने भी नोट किया कि मध्यस्थता कार्यवाही गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य कर सकती है।

मूल विवाद में ही शामिल।

14. एक अन्य आई. सी. सी. पुरस्कार में, न्यायाधिकरण ने कहा, "। फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कानून में कोई सामान्य नियम नहीं है कि

यह प्रावधान करें कि कंपनियों के एक ही समूह के गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष सदस्य एक मध्यस्थता खंड से बाध्य होंगे, चाहे वह हमेशा हो या निर्धारित परिस्थितियों में।

15. अन्य में कंपनी सिद्धांत के समूह के लिए स्वागत

क्षेत्राधिकार मिश्रित किए गए हैं। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल ने ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन 1 0 को खारिज कर दिया लेकिन स्वीकार किया है कि कोई तीसरा पक्ष कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता के लिए बाध्य होने के लिए 'निहित रूप से' सहमति दे सकता है। सामान्य तौर पर, अनुबंध के निष्पादन में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी की व्याख्या मध्यस्थता समझौते से बंधे होने के इरादे के रूप में की जाएगी। 1 1 तथापि, इसके लिए एक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है जो दर्शाती है कि

स्पष्ट और स्पष्ट इरादा, इस प्रकार किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने के लिए एक उच्च सीमा निर्धारित करना। 1 2 12

16. कंपनियों के समूह की तुलना में स्विस भावना

सिद्धांत को ब्रिटिश न्यायशास्त्र द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है जहां सिद्धांत की स्पष्ट अस्वीकृति हुई है। 1 3 इसके अलावा, अभिव्यक्ति "दावा करना"

7 Cour de Cas, 1st Civ Ch, 27 मार्च 2007, संख्या 04-20842, JCP E 2007,2018। 8 कोर डी कास, 1st Civ Ch, 7 नवंबर 2012, नंबर 11-25.891, JCP 2012, I, 1354 नंबर 5। आईसीसी मामला संख्या 11405,29 नवंबर 2001 का अंतरिम पुरस्कार, अप्रकाशित (एकमात्र मध्यस्थ, पेरिस)।

10 29 जनवरी 1996 का निर्णय, 14 एएसए बुल 496 (स्विस फेड जनजाति) (1996); जीन फ्रेंकोइस पौड्रेट, 'द एक्सटेंशन ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लॉजः फ्रांसीसी और स्विस दृष्टिकोण '122 जे. डी. आई. (क्लूनेट) 893 (1995)।

11 1 19 अगस्त 2008 का निर्णय, डी. एफ. टी. 4 ए. 128/2008 (स्विस फेड जनजाति) (2008)। 1 2 12 गैब्रिएल कौफमैन-कोहलर और ए रिगोज़ी, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थताः स्विट्जरलैंड में कानून और व्यवहार (ओयूपी 2015)।

13 पीटरसन फार्म्स इंक बनाम सी एंड एम फार्मिंग लिमिटेड [2004] ईडब्ल्यूएचसी 121।

2] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सेक में "के तहत या उसके माध्यम से। 82 (2) अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996, जो धारा के समान है। 8 संशोधित भारतीय अधिनियम, 1996 की व्याख्या उन उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए की गई है जो कंपनी सिद्धांत के समूह से असंबंधित हैं। ब्रिटिश अदालतों ने इसे अन्य बातों के साथ-साथ समनुदेशित 1,4, अधीन बीमाकर्ता 1.5, नौसिखिये 1,6 और उत्तराधिकारी 1,7 माना है।

17. अमेरिकी न्यायालय आमतौर पर समूह का उल्लेख नहीं करते हैं

कंपनियां सिद्धांत का पालन करती हैं और मुख्य रूप से अमेरिकी अनुबंध कानून और एजेंसी कानून के पहलुओं पर भरोसा करती हैं। 18 1 8 कंपनी कानून के सिद्धांत जैसे कि अहंकार को बदलना और घूंघट को भेदना अमेरिकी न्यायालयों द्वारा अतिरिक्त रूप से लागू किया जाता है, हालांकि उनके आवेदन के लिए सीमा अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। 19 अमेरिकी अदालतें कभी-कभी तर्क के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचती हैं जो कंपनी सिद्धांत के समूह से मिलती-जुलती हैं लेकिन जो वास्तव में न्यायसंगत बहिष्कार के सिद्धांत पर आधारित हैं। 20

18. इन सभी क्षेत्राधिकारों के बीच आम विषय यह है कि प्रत्येक

उनमें से कुछ ने एक हस्ताक्षरित अनुबंध के माध्यम से स्पष्ट सहमति की औपचारिक आवश्यकता के साथ एक समझौता किया है। दूसरे शब्दों में, ये क्षेत्राधिकार प्रत्येक मामले में स्पष्ट सहमति की इस आवश्यकता से दूर चले गए हैं और इसके बजाय मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता होने पर पक्षों के कार्यों की जांच के माध्यम से रचनात्मक सहमति की पहचान करने का प्रयास किया है। कुछ उदाहरणों में, इन क्षेत्राधिकारों ने ऐसे मानकों को भी लागू किया है जो सहमति पर बिल्कुल भी आधारित नहीं हैं जैसे कि न्यायसंगत अवरोध और घूंघट को भेदना।

C. भारत में कंपनियों के समूह के सिद्धांत का विकास

19. एक गैर बाध्यकारी के संबंध में भारतीय मध्यस्थ न्यायशास्त्र

मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले ने काफी बदलाव देखा है। सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम जयेश एच. पांड्या

14 ट्रांसपोर्ट म्यूचुअल इंश्योरेंस एसोसिएशन (यूएशिया) लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2005] के माध्यम से ईडब्ल्यूएचसी 455 मूर-बिक जे।

15 स्टारलाइट शिपिंग कंपनी और एनोर बनाम ताई पिंग इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हुबेई शाखा और एनोर, [2007] ईडब्ल्यूएचसी 1893।

16 चार्ल्स एम विली एंड कंपनी (शिपिंग) लिमिटेड बनाम ओशन लेजर शिपिंग लिमिटेड (द स्मारो) [1998] ईडब्ल्यूएचसी 1206।

17 हनोटियाउ (एन 6)।

18 गैरी बोर्न, गैरी बोर्न में 'अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के पक्ष' (संस्करण) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल 2021)। 19 हिक्स वी। बैंक ऑफ एम, एन. ए., 218 एफ. ऐप 'x 739,746 (2007); ब्राइडस सेपिक बनाम। तुर्कमेनिस्तान, 447 F 3d 411,416-20 (2006)।

20 एस्ट्रा ऑयल कंपनी बनाम रोवर नेविगेशन, लिमिटेड, 344 एफ 3 डी 276,277 (2003); चॉक्टाव जेनरेशन एल. पी. बनाम। एम होम असुर कंपनी, 271 एफ 3 डी 403,406-07 (2001)।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

& एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

& ए. एन. आर. 2 से संबंधित कई पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे

एक ही लेन-देन, हालांकि, सभी पक्ष मध्यस्थता खंड वाले समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। न्यायालय ने अधिनियम की असंशोधित धारा 8 पर भरोसा करते हुए कहा कि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना संभव नहीं होगा। इसके बाद, इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम। वेसकेयर (आई) लिमिटेड और ए. एन. आर. 22 इस न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश में हस्तक्षेप किया जिसने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन की अनुमति दी थी और इंडोविंड को कार्यवाही में शामिल किया था, भले ही इंडोविंड ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए कहाः

" 18. यह तथ्य कि पक्षकारों ने इंडोविंड को एक पक्ष बनाने से सावधानीपूर्वक परहेज किया और यह तथ्य कि सुबुथी का निदेशक हालांकि इंडोविंड का एक निदेशक था, लेकिन इंडोविंड की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए सावधान था, यह दर्शाता है कि पक्षों का इरादा यह नहीं था कि इंडोविंड को एक पक्ष होना चाहिए।

समझौता। इसलिए केवल यह तथ्य कि सुबुथी ने इंडोविंड को अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में या उसके द्वारा प्रवर्तित कंपनी के रूप में वर्णित किया है या यह कि समझौता कथित रूप से इंडोविंड की ओर से सुबुथी द्वारा किया गया था, इंडोविंड को अनुसमर्थन, अनुमोदन, गोद लेने या पुष्टि के अभाव में एक पक्ष नहीं बनाएगा।

इंडोविंड द्वारा दिनांकित 24-2-2006 समझौते का।

20. अत्यधिक सम्मान के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि इंडोविंड में न्यायालय ने अधिनियम की एक कठोर और प्रतिबंधात्मक समझ को अपनाया। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने औपचारिक सहमति के मुद्दे पर अनुचित जोर दिया। हालाँकि, जैसा कि पहले देखा गया है, कई न्यायालयों ने माना है कि मध्यस्थता समझौते के लिए औपचारिक सहमति किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य होने के इरादे को जोड़ने के लिए अनिवार्य नहीं है। वास्तव में, कुछ सिद्धांत जिनके द्वारा क्षेत्राधिकारों में न्यायालय मध्यस्थता के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल करते हैं, पक्षकारों के इरादे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं।

21 2003 5 एससीसी 531। 22 2 2010 5 एस. सी. सी. 303।

23 2011 1 एससीसी 320।

न्यायशास्त्र। उस मामले में, एक भारतीय पक्ष और एक विदेशी संस्था के बीच एक शेयरधारक समझौता था। शेयरधारक समझौता लेनदेन और लंदन के रूप में मध्यस्थता के स्थान को नियंत्रित करने वाले अंग्रेजी कानून के साथ प्रमुख या 'मूल' समझौता था। इससे परे शेयरधारकों का समझौता, कई अन्य अंतर-संबद्ध समझौते थे लेकिन इन सभी समझौतों में समान पक्ष नहीं थे। हालाँकि, ये अन्य समझौते एक 'समग्र लेन-देन' का हिस्सा थे और सभी मातृ समझौते से उत्पन्न हुए थे। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या इन सभी पक्षों को एकल और समग्र मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। पूर्ववर्ती उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि सुकन्या होल्डिंग्स का निर्णय अधिनियम की धारा 8 के दायरे में लिया गया था, लेकिन यह मामला अधिनियम की धारा 45 के दायरे में आता है जिसका दायरा बहुत अधिक था। धारा 45 में "व्यक्ति के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला व्यक्ति" अभिव्यक्ति पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसके पास कंपनी समूह सिद्धांत का आह्वान करते हुए एक बहु-पक्षीय समझौते में पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति है। इसे और स्पष्ट किया गयाः

" 69. हम पहले ही देख चुके हैं कि धारा 45 की भाषा इस संबंध में धारा 8 की भाषा से काफी भिन्न है। धारा 45 में, अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति"

स्पष्ट रूप से "पक्षों" से परे शब्दों के दायरे को बढ़ाने के विधायी इरादे को संदर्भित करता है जो मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता हैं। बेशक, ऐसे आवेदक को हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करना चाहिए। एक बार यह लिंक है

स्थापित, तब न्यायालय उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजेगा। "विल" शब्द के उपयोग को इसका उचित अर्थ देना होगा और इसे "मे" शब्द के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसा कि इसकी आम बोलचाल में उदारता से समझा जाता है। धारा 45 की भाषा में "होगा" अभिव्यक्ति का उद्देश्य यह है कि यदि इस प्रावधान की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो अदालत को मध्यस्थता का संदर्भ देना आवश्यक है। इस हद तक हम

इस निवेदन में योग्यता पाएँ कि इस तरह का संदर्भ देने के लिए न्यायिक प्राधिकरण पर 1940 के अधिनियम की तुलना में अधिक दायित्व है। हालाँकि, संदर्भ के अधिकार को सख्ती से एक अक्षम्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। धारा 44 और 45 के तहत बताई गई पूर्व शर्तों की संतुष्टि पर ही कोई संदर्भ का दावा कर सकता है।

1996 के अधिनियम की अनुसूची I। इस प्रकार, यह एक कानूनी अधिकार है जिसमें एक्स और किंग्स लिमिटेड वी है।

SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

इसकी अपनी रूपरेखाएँ हैं और यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है, जो किसी भी अधिकार से मुक्त है। दायित्व/सीमाएँ।

XXX

72 ..... दूसरे शब्दों में, 'दलों का इरादा' बहुत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण विशेषता जो दायरे से पहले स्थापित की जानी चाहिए

मध्यस्थता के बारे में कहा जा सकता है कि इसमें हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष।

73. एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता या तीसरे पक्ष के अधीन किया जा सकता है

उनकी पूर्व सहमति के बिना मध्यस्थता, लेकिन यह केवल होगा असाधारण मामलों में। अदालत इन अपवादों की जांच करेगी।

पार्टी के हस्ताक्षरकर्ता के साथ प्रत्यक्ष संबंध की कसौटी से

समग्र लेन-देन। लेन-देन एक का होना चाहिए मिश्रित प्रकृति जहाँ मातृ समझौते का प्रदर्शन

सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना संभव नहीं हो सकता है

प्राप्त करने के लिए पूरक या सहायक समझौतों का

आम उद्देश्य और सामूहिक रूप से असर पड़ता है

विवाद। इन सब के अलावा अदालत को जांच करनी होगी।

न्याय का अंत। एक बार जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है और न्यायालय एकर सकारात्मक उत्तर दैत अछि, एकर सन्दर्भमे

यहां तक कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष भी अपवाद के दायरे में आएंगे।

पूर्व-चर्चा की गई।

(जोर दिया गया)

22. क्लोरो नियंत्रण में निर्णय को विधायी प्रभाव देने के लिए,

विधि आयोग ने अपनी 246 वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें कहीं:

सुधार:

अधिनियम की धारा 45 के शब्दों से निम्नलिखित है जो मान्यता देता है "[एक पक्ष] के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले व्यक्ति" का अधिकार

हालाँकि, भाषा संबंधित प्रावधान में अनुपस्थित है अधिनियम की धारा 8। यह अन्य प्रासंगिक में समान रूप से अनुपस्थित है।

प्रावधान, जहां संदर्भ की मांग होगी कि एक पक्ष शामिल है

"ऐसे पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला व्यक्ति" भी।

इसे ठीक करने के लिए [2022] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विसंगति, आयोग ने परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत "पक्ष" का। 24

23. विधायिका ने अपने विवेक से परिभाषा में संशोधन नहीं किया

अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) लेकिन अधिनियम की धारा 8 को 2016 के अधिनियम 3 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जो अब निम्नानुसार हैः

" (1) . एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक कार्रवाई की जाती है वह मामला जो मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि -

मध्यस्थता समझौते का पक्षकार या कोई भी व्यक्ति जो दावा करता है उसके माध्यम से या उसके अधीन, इसलिए की तारीख से बाद में लागू नहीं होता है

विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करते हुए, फिर,

सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद

न्यायालय या कोई भी न्यायालय, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है जब तक कि वह यह न पाए

कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

(जोर दिया गया)

24. संशोधन के बाद के प्रावधानों के बाद,

चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय संदर्भ में कंपनी सिद्धांत का और विस्तार किया। यह न्यायालय

कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू किया और निर्धारित किया कि भले ही चेरन मध्यस्थता समझौते में एक पक्ष नहीं थे और न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुए थे, लेकिन मध्यस्थता पुरस्कार इसके खिलाफ लागू किया जा सकता था क्योंकि चेरन समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक के तहत दावा करने वाला एक पक्ष था। आधुनिक युग में इस सिद्धांत के महत्व पर बोलते हुए वाणिज्यिक लेन-देन, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, "प्रयास व्यावसायिक व्यवस्था के वास्तविक सार को खोजना और एक से सुलझाना है

वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की स्तरित संरचना, किसी ऐसे व्यक्ति को बांधने का इरादा जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन जिसने हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व ग्रहण किया है।

25. रेकिट बेंकिजर (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम। रेन्डर्स लेबल

प्रिंटिंग (इंडिया) (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. 25 ने कंपनी समूह के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के जॉइंडर को अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह साबित नहीं किया जा सका कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी ने हस्ताक्षरकर्ता की ओर से अनुबंध पर बातचीत की थी।

26. महानगर टेलीफोन में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ

निगम लिमिटेड बनाम। केनरा बैंक एंड ओआरएस ", से संबंधित था

24 भारतीय विधि आयोग, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन। 25 2019 7 एससीसी 62.

26 2020 12 एससी 767।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड v. एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

& एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

कैनफिना का जॉइंडर, जो समझौते का गैर-हस्ताक्षरकर्ता था लेकिन केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। लेन-देन की प्रकृति और पक्षों के आचरण पर विचार करने पर, न्यायालय ने माना कि यह "मौन या निहित सहमति" का मामला था और तदनुसार मध्यस्थता कार्यवाही में CANFINA को शामिल करना आवश्यक था। न्यायालय ने कहा कि कंपनियों के समूह के सिद्धांत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत इस प्रकार हैं:

" 10.7 . कंपनियों के समूह के सिद्धांत को भी लागू किया गया है। ऐसे मामलों में जहां मजबूत समूह संरचना है

संगठनात्मक और वित्तीय संबंध, ताकि एक एकल संगठन का गठन किया जा सके

आर्थिक इकाई, या एकल आर्थिक वास्तविकता। ऐसी स्थिति में,

4131 1982 का आई. सी. सी. मामला सं. 1988 का 5103।] " 27. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें मैं सदस्य था),

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में 27.04.2022 दिनांकित एक बहुत ही हाल के निर्णय में है। मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और ए. एन. आर. 27 ने भारतीय संदर्भ में सिद्धांत के गहरे अस्तित्व को दोहराया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कंपनियों के समूह के भीतर एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी मध्यस्थता समझौते से बाध्य होगी या नहीं, यह तय करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है:

" (i) पक्षकारों का आपसी इरादा;

((ii) हस्ताक्षर न करने वाले का किसी पक्ष के साथ संबंध जो है -

समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला;

(iv) लेन-देन की समग्र प्रकृति; और (v) अनुबंध का निष्पादन।

(जोर दिया गया)

डी. कंपनियों के समूह के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति 28. शुरू में, यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ

कंपनी समूह सिद्धांत के अंतर्निहित आधार के संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में विसंगतियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए,

27 2022 की सिविल अपील संख्या 2042।

जब कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के लिए बाध्य हो सकता है। एक ओर, न्यायालय ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को शामिल करने के लिए पक्षों के इरादे पर जोर दिया, लेकिन दूसरी ओर, यह जोड़ा गया कि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को उनके बिना मध्यस्थता कार्यवाही में जोड़ा जा सकता है। "असाधारण मामलों" में सहमति। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि क्लोरो नियंत्रण पक्षकारों के इरादे पर एक प्रमुखता रखता है, लेकिन यह न्याय के हित में यदि आवश्यक हो तो इरादे को पूरी तरह से त्यागने के लिए समानता आधारित दृष्टिकोण अपनाने की भी वकालत करता है।

29. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में न्यायालय ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू किया था, जिसमें गहरी संरचना के साथ एक तंग संरचना थी।

हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता के बीच वित्तीय और संगठन संबंध मौजूद थे।

इस हद तक हस्ताक्षरकर्ता जहां वे एक "एकल आर्थिक इकाई" का गठन करते थे। इस तरह के दृष्टिकोण में अलग कानूनी इकाई के सिद्धांत की अनदेखी करने की प्रवृत्ति है और ऐसा लगता है कि यह लगभग पूरी तरह से पक्षों के इरादे और/या सहमति के साथ वितरित होता है।

हालांकि, मेरे विनम्र विचार में, इस तरह की अनिश्चितता के लिए उचित प्रतिक्रिया भारतीय मध्यस्थता कानून से इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के बजाय सिद्धांत की रूपरेखा का एक आधिकारिक निर्धारण होगा।
32. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत ने अब भारतीय कानून में एक उचित दूरी तय की है। जबकि माननीय मुख्य न्यायाधीश की राय सही ढंग से नोट करती है कि धारा 2 (1) (एच) के तहत "पक्षकार" शब्द में कॉक्स और किंग्स लिमिटेड v है।

SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

धारा 8 में किए गए परिवर्तनों के बावजूद संशोधन नहीं किया गया अधिनियम, मुझे ऐसा लगता है कि संशोधित धारा 8 को लागू करने के उद्देश्यों में से एक भारत में कंपनी समूह के सिद्धांत की मौन मान्यता और स्वीकृति प्रदान करना था।

33. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि सवाल यह है कि कौन सी संस्थाएं हैं

मध्यस्थता समझौते के पक्षों को आमतौर पर न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया जाता है, खासकर जब एक सीमित वैधानिक मार्गदर्शन होता है। 28 इस प्रकार, अधिनियम की धारा 8 के शब्दों से कंपनी समूह के सिद्धांत के संदिग्ध स्रोत के बारे में धारणा का मतलब यह नहीं है कि यह भारतीय मध्यस्थता कानून से वर्जित है। निस्संदेह, न्यायालयों के पास भारतीय मध्यस्थ न्यायशास्त्र में सिद्धांत को लागू करने और लागू करने का न्यायिक विवेकाधिकार है।

34. समूह की व्याख्या पर पहले का विश्लेषण

कंपनी सिद्धांत इस बात को मजबूत करता है कि जब इसे अपने सबसे आधुनिक अर्थों में तैयार किया जाता है, तो यह कंपनी में अलग कानूनी इकाई सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है। कानून। गैरी बोर्न 2 9 नोट करता है कि सिद्धांत,

´ ..... आम तौर पर पक्षों के इरादों की पहचान करने का एक साधन है,

निहित सहमति, जिसके द्वारा निगमित संबद्धताएँ विशिष्ट कानूनी संस्थाएं निष्कर्ष निकालने के लिए आधार प्रदान करती हैं।

कि वे एक समझौते के पक्षकार बनने का इरादा रखते थे,

गैर-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उनकी औपचारिक स्थिति के बावजूद।

टिप्पणीकारों ने दोनों के बीच समान अंतर देखे हैं

कंपनियों का समूह सिद्धांत और घूंघट-भेदी सिद्धांत "।

(जोर दिया गया)

35.इसलिए यह प्रतीत होता है कि की वर्तमान व्याख्या

सिद्धांत 'अलग कॉर्पोरेट रूप को परेशान या प्रभावित नहीं करता है'

कंपनियों के एक समूह के भीतर विभिन्न संस्थाएं। न ही कॉर्पोरेट घूंघट को छेदने का कार्य आवश्यक रूप से तीसरे पक्ष की अलग कानूनी इकाई को ध्वस्त करने का कारण बनता है। इस संदर्भ में, कॉर्पोरेट कानून के सिद्धांत जैसे कि घूंघट को भेदना और अहंकार को बदलना एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पहचान की जा सकती है।

एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा धोखाधड़ी गतिविधि जो तब बाध्य करने के लिए कंपनी सिद्धांत के समूह के आवेदन के लिए कानूनी औचित्य प्रदान करेगी

28 जन्म (एन 18)।

29 जन्म (एन 18)।

जो मध्यस्थता के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता है। यह "एकल आर्थिक वास्तविकता" दृष्टिकोण से एक प्रस्थान है जो कंपनियों के पूरे समूह को एक एकल इकाई के रूप में देखता है और समूह के विभिन्न सदस्यों के अलग-अलग कानूनी व्यक्तित्वों को ओवरराइड करता है।

अहं केवल किसी तीसरे पक्ष द्वारा दोहरे कृत्यों की पहचान के लिए है जो तब उन्हें मध्यस्थता के लिए बाध्य करने के लिए कंपनी सिद्धांत के समूह के अनुप्रयोग की ओर ले जाएगा। इसका कार्य उन पक्षों की पहचान करना है जिनका मध्यस्थता का हिस्सा बनने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है और जानबूझकर मध्यस्थता के अधीन होने से बचने के लिए कॉर्पोरेट फॉर्म का उपयोग ढाल के रूप में करते हैं। कार्यवाही। ऐसे परिदृश्यों के लिए, विवाद को दूर करने के लिए कंपनी सिद्धांत के समूह के लिए एक औपचारिक आशय-आधारित दृष्टिकोण अपर्याप्त हो सकता है।

37. उपरोक्त विश्लेषण से, यह प्रतीत होता है कि कंपनियों के एक समूह के अभिसरण के आधार पर मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष को "एकल" के रूप में शामिल करना।

38. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सिद्धांत मध्यस्थता के सामान्य नियम का एक अपवाद है। हालांकि, जहां एक मामले के तथ्य इंगित करते हैं कि पक्षों का इरादा गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करना था, न्यायालय, उचित सावधानी और सावधानी बरतने के बाद, का आह्वान करने में उचित होगा

पर्याप्त और पूर्ण न्याय करने का सिद्धांत। अधिनियम में 2016 के संशोधन के बाद, इस न्यायालय ने इसे स्वीकार करना और लागू करना जारी रखा है

असाधारण मामलों में सिद्धांत। जब इन सभी कारकों को सामंजस्य में देखा जाता है, तो यह पता चलता है कि इस सिद्धांत को भारत में दृढ़ आधार मिला है।

न्यायशास्त्र।

39. यह बिना किसी कारण के नहीं है। व्यावहारिक मोर्चे पर यह सिद्धांत जटिल बहु-पक्षीय व्यावसायिक लेन-देन से निपटने का एक साधन है

जिसमें अनिवार्य रूप से दो से अधिक पक्ष शामिल होते हैं, भले ही ये अतिरिक्त पक्ष अंततः और औपचारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें।

उस हद तक, कॉक्स और किंग्स लिमिटेड v. SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक और [सूर्या कान्ट, जे।]

सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता इस वास्तविकता के अनुकूल होने में सक्षम है। ऐसा करने में विफलता मध्यस्थता को एक अप्रभावी विवाद समाधान मंच बना देगी क्योंकि जो पक्ष विवाद के पूर्ण और उचित समाधान के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें निर्णय से बाहर रखा जाएगा।

40. सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही की बहुलता

टाल दिया। एक पक्ष बातचीत और यहां तक कि एक समझौते के प्रदर्शन में शामिल हो सकता है, लेकिन फिर भी इस आधार पर मध्यस्थता प्रक्रिया को दरकिनार करने में सक्षम हो सकता है कि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। फिर ऐसे पक्षकार के खिलाफ अदालत में कार्यवाही करनी होगी। 41. भारतीय न्यायशास्त्र में कंपनी समूह सिद्धांत होने के अतिरिक्त लाभ हैं। ये विशिष्टता से उत्पन्न होते हैं

परिस्थितियाँ और तरीका जिसमें भारतीय व्यावसायिक संस्थाएं एक-दूसरे के साथ लेन-देन करती हैं और वाणिज्यिक संबंध स्थापित करती हैं। भारतीय व्यापारिक घरानों का एक बड़ा हिस्सा परिवार द्वारा संचालित संस्थाओं या समूहों से बना है। इन संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्ति अक्सर कई भूमिकाओं में होते हैं। समूह के भीतर विभिन्न कंपनियाँ। इस प्रकार, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और परिवार के सदस्यों की प्रमुखता के संदर्भ में समानता

42. इस परिदृश्य में भारतीय मध्यस्थता कानून में कंपनियों के समूह जैसे सिद्धांत का होना और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। कंपनियों के समूह के बाहर कोई तीसरा पक्ष किसी सहायक कंपनी के साथ लेन-देन कर सकता है क्योंकि उसे अपने माता-पिता के बारे में वास्तविक और व्यावसायिक जानकारी में विश्वास है। विचाराधीन तीसरा पक्ष के कद या उपस्थिति पर निर्भर करता है बड़ी मूल कंपनी, या तो अपनी प्रतिष्ठा या अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत परिचितता के कारण।

43. सिद्धांत स्वयं नई संस्थाओं के साथ व्यवसाय के लिए अधिक प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकता है जो शुरू हो रहे हैं। भारतीय व्यावसायिक संबंधों में उपरोक्त विशिष्टताओं के कारण, नई कंपनियों को आकर्षण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कठिनाई होती है। एक साधन जिसके द्वारा ऐसी कंपनियाँ तब पैर जमा सकती हैं, वह है कंपनियों के एक बड़े (अक्सर परिवार द्वारा आयोजित) समूह का हिस्सा बनना। ये नई इकाइयाँ तब पोषण करने में सक्षम होती हैं

सद्भावना या संबंध जो बड़े समूह के बाकी व्यवसाय [2022] 15 एस. सी. आर. के साथ हैं।

संसार। यह देखते हुए कि बड़े समूह से संबंध आंतरिक है

जिस तरह से व्यवसाय किया जाता है, मध्यस्थता कानून को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और संबोधित करना चाहिए। 44. वास्तव में, न्यायाधिकरणों ने पहले ही उस निर्भरता को मान्यता दे दी है जो अक्सर एक कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी के साथ समझौता करते समय गैर-हस्ताक्षरकर्ता मूल कंपनी के आचरण पर रखी जाती है। द.

पेट्रो एलायंस सर्विसेज कंपनी लिमिटेड में न्यायाधिकरण बनाम। स्टॉकहोम चैंबर ऑफ कॉमर्स के मध्यस्थता संस्थान के तत्वावधान में यूकोस ऑयल 3 0 इस मुद्दे से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक प्रमुख उदाहरण है।

और अपनी सहायक कंपनी वाई. एन. जी., जिसके साथ पेट्रोएलायंस ने अनुबंध किया था, का समर्थन करने के लिए तैयार है। जबकि ऐसे कई कारक थे जिन्होंने न्यायाधिकरण के निर्णय में योगदान दिया कि यूकोस को मध्यस्थता कार्यवाही के लिए बाध्य किया जाए, हमारे उद्देश्यों के लिए सबसे प्रासंगिक उपाय है जिस तरह से न्यायाधिकरण ने स्वीडिश अनुबंध कानून के तहत मौजूद "विश्वास के सिद्धांत" को प्रतिपादित किया।

46. इस सिद्धांत के तहत महत्वपूर्ण विचार, कंपनी के कानून के सिद्धांतों जैसे कि परिवर्तन अहंकार के समान, का वास्तविक इरादा नहीं है

गैर-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में पक्षकार अनुबंध के चालक के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दोहरा व्यवहार कर सकता है, जबकि अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी से बच सकता है। इसलिए, सिद्धांत इस बात की जांच करता है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने संविदाकारी संस्था के समान स्थिति में एक उचित पक्ष को क्या इरादा व्यक्त किया है। निर्णायक कारक यह है कि संविदाकारी पक्ष ने दूसरे पक्ष में यथोचित रूप से और गैर-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों के आधार पर किस हद तक "विश्वास" रखा है।

47. स्पष्ट करने के लिए, भारतीय कानून में विश्वास के स्वीडिश सिद्धांत को थोक में अपनाने की वकालत नहीं की जा रही है। बल्कि, यह धारणा कि हम कंपनियों के समूह के सिद्धांत को उन स्थितियों में कैसे लागू कर सकते हैं जहां

गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष धोखाधड़ी या छलपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, इस धारणा की जांच करके संबोधित किया जा सकता है जो अनुबंध करने वाले पक्षों को तीसरे पक्ष द्वारा दी गई थी। यह घूंघट को भेदने और अहंकार को बदलने के पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अलावा है। यह क्लोरो कंट्रोल्स और चेरन की वैध आलोचना को भी संबोधित कर सकता है।

संपत्ति, जो इरादे के कानूनी मानकों पर जोर देने के बावजूद, 30 एस. सी. सी. मामला संख्या 108/1997,2000।

न्यायालय ने अंततः उनमें कंपनी समूह सिद्धांत को लागू करने के लिए समता और वाणिज्यिक/आर्थिक समीचीनता के सिद्धांतों का सहारा लिया।

मामले।

ई. निष्कर्ष

48. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, सम्मानपूर्वक, मेरी राय है

कि जिन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की मांग की गई है, वे आगे विस्तार के योग्य हैं। मेरे आदेश पर पूरी विनम्रता के साथ, निम्नलिखित

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के अतिरिक्त और उनके संयोजन में एक बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक निर्धारण के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं:

क्या कंपनी समूह के सिद्धांत को पढ़ा जाना चाहिए

ए.

अधिनियम की धारा 8 में या क्या यह किसी भी वैधानिक प्रावधान से स्वतंत्र भारतीय न्यायशास्त्र में मौजूद हो सकता है?

बी.

क्या कंपनियों के समूह का सिद्धांत जारी रहना चाहिए

'एकल आर्थिक' के सिद्धांत के आधार पर लागू किया जाना

वास्तविकता '?

सी.

क्या कंपनियों के समूह का सिद्धांत होना चाहिए

निहित सहमति या पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के इरादे की व्याख्या करने के साधन के रूप में माना जाता है?

चाहे अहंकार को बदलने और/या भेदने के सिद्धांत

डी.

कॉर्पोरेट पर्दा अकेले ही कंपनी सिद्धांत के समूह को संचालन में लाने के लिए दबाव डालने को उचित ठहरा सकता है, इसके अभाव में भी

निहित सहमति?

मामला बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

निधि जैन

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)